फाइल संख्याः 15/2/2018 – भर्ती मु. (खंड-॥)

# भारत सरकार कार्मिक,लोक-शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय कर्मचारी चयन आयोग (वेबसाइट: http://ssc.nic.in)

विज्ञापन संख्या:चरण-VII/2019/चयन पद

ऑनलाइन आवेदनों के प्रस्तुतीकरण की तारीख :06.08.2019 से 31.08.2019 तक

आवेदनों की प्रापित की अंतिम तिथि : 31.08.2019(सायं 5:00 बजे तक)

ऑनलाइन शुल्क भुगतान करने की अंतिम तिथि : 02.09.2019(सार्यं 5:00 बजे तक)

ऑफलाइन चालान को तैयार करने की अंतिम तिथि :

02.09.2019(सायं 5:00 बजे तक)

चालान के माध्यम से भुगतान की अंतिम तिथि(बैंक के कार्य समय कें दौरान): 04.09.2019

कंप्यूटर आधारित परीक्षाकी तिथि : 14.10.2019 से 18.10.2019 तक

"सरकार एक ऐसा कार्यदल बनाने का प्रयास करती है जिसमें लिंग संतुलन प्रतिबिम्बत हो तथा महिला अभ्यर्थियों को आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है ।"

इस विज्ञप्ति के अनुबंध-III में उल्लिखित चयन पदों के लिए पात्र अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। केवल वे आवेदन ही स्वीकार किए जाएंगे, जिन्हें आयोग की वेबसाइट के माध्यम से सफलतापूर्वक भरा गया है और वे व्यक्तिगत रूप में हैं।

2. अभ्यर्थियों को पद के लिए आवेदन करने से पूर्व इस विज्ञप्ति को सावधानीपूर्वक पढ़ लेना चाहिए तथा यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे

इस विज्ञप्ति में यथा-उल्लिखित समस्त पात्रता शर्तों जैसे आयु सीमा/ अनिवार्य योग्यता(अ.यो.)/अनुभव/श्रेणी इत्यादि को पूरा करते हैं । वे अभ्यर्थी, जो पात्रता शर्तों को पूरा नहीं कर रहे हैं, उनकी अभ्यर्थिता को किसी सूचना के बिना भर्ती प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर रद्द किया जा सकता है । आवेदकों की अभ्यर्थिता, भर्ती प्रक्रिया के सभी स्तरों पर पूर्णतः अनंतिम होगी ।

- 3.(क) आवेदन की प्रस्थिति से लेकर उपयोक्ता विभाग को चयनित अभ्यर्थियों के नामांकन तक, जिसमें अनंतिम रूप से पात्र अभ्यर्थियों को कंप्यूटर आधारित परीक्षा पद्धित के लिए बुलावा पत्र भेजना भी शामिल है, इस भर्ती से संबंधित समस्त सूचना कर्मचारी चयन आयोग की वेबसाइट: http://ssc.nic.in / आयोग के क्षेत्रीय/उप क्षेत्रीय कार्यालयों की वेबसाइटों पर उपलब्ध होगी।
- 3.(ख) अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे संबद्ध क्षेत्र से संबंधित पदों की विभिन्न श्रेणियों और भर्ती प्रक्रिया के विभिन्न स्तरों के संबंध में नवीनतम जानकारी के लिए क्षेत्रीय/उप क्षेत्रीय कार्यालयों की वेबसाइटों को देखते रहें। आयोग के नौ क्षेत्रीय/उप क्षेत्रीय कार्यालयों के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:-

क्र. सं.	क.च.आ. क्षेत्र और क.च.आ. क्षेत्र के अधिकार क्षेत्र के अधीन	परीक्षा केद्र	क्षेत्रीय कार्यालयों/ वेबसाइट का पता
νι.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र		पषसाइट परा पता
1	मध्य क्षेत्र (म.क्ष्ा.)/बिहार और उत्तर प्रदेश	प्रयागराज और पटना	क्षेत्रीय निदेशक (म.क्षे), कर्मचारी चयन आयोग, 34-A, महात्मा गांधी मार्ग, सिविल लाइन्स, केन्द्रीय सदन, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश -211 001 (www.ssc-cr.org)
2	पूर्वी क्षेत्र (पू.क्षे.) /अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम और पश्चिम बंगाल	भुवनेश्वर, पोर्ट	क्षेत्रीय निदेशक (पू.क्षे), कर्मचारी चयन आयोग, प्रथम एमएसओ बिल्डिंग, (8वां तल), 234/4, आचार्य जगदीश चंद्र बोस मार्ग, कोलकाता,

			पश्चिम बंगाल -700020
			(www.sscer.org)
3	कर्नाटक, केरल क्षेत्र (क.के.क्षे.) / लक्षद्वीप, कर्नाटक और केरल	बैंगलूरू तथा तिरूवनंथपूरम	क्षेत्रीय निदेशक (केरल कर्नाटक क्षेत्र), कर्मचारी चयन आयोग, प्रथम तल, "ई"विंग, केन्द्रीय सदन , कोरमंगला , बेंगलुरू , कर्नाटक-560034 (www.ssckkr.kar. nic.in)
4	मध्य प्रदेश उप-क्षेत्र (म.प्र.क्षे.) /छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश	भोपाल तथा रायपुर	उप निदेशक(म.प्र.क्षे.), कर्मचारी चयन आयोग, जे-5, अनुपम नगर, रायपुर, छत्तीसगढ़-492007 (www.sscmpr.org)
5	पूर्वोत्तर क्षेत्र (पूर्वी.क्षे.) / अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा	गुवाहाटी, इंफल, शिलंग, अगरतला तथा कोहिमा	क्षेत्रीय निदेशक(पूर्वी.क्षे.), कर्मचारी चयन आयोग, हाउसफेड कॉम्प्लेक्स, लास्ट गेट, बशिष्ठ रोड, डाकघर- असम सचिवालय, दिसपुर, गुवाहाटी, असम- 781006 (www.sscner.org.i n)
6	उत्तरी क्षेत्र (उ.क्षे.) / दिल्ली, राजस्थान और उत्तराखंड	दिल्ली, देहरादून तथा जयपुर	क्षेत्रीय निदेशक (उ.क्षे.), कर्मचारी चयन आयोग, ब्लॉक संख्या 12, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली -110003 (www.sscnr.net.in
7	पश्चिमोत्तर उप- क्षेत्र (पश्चिमो.क्षे.) /चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू- कश्मीर और पंजाब	_	, उप निदेशक (पश्चिमो.क्षे.), कर्मचारी चयन आयोग, ब्लॉक नंबर 3, भूतल,

	केन्द्रीय सदन , सेक्टर 9, चंडीगढ़-
	160009
	(www.sscnwr.org)

8	दक्षिणी क्षेत्र (द.क्षे.)/	चेन्नै, हैदराबाद,	क्षेत्रीय निदेशक (द.क्षे.),
	आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी, तमिलनाडु	विजयवाड़ा तथा	कर्मचारी चयन आयोग,
	और तेलंगाना	विशाखापटनम	दूसरा
			तल, ईवीके संपत
			बिल्डिंग,
			डीपीआई कैंपस,
			कॉलेज रोड, चेन्नई,
			तमिलनाडु -600006
			(www.sscsr.gov.in
		C	)
9	पश्चिमी क्षेत्र (प. क्षे.) /	मुम्बई तथा	क्षेत्रीय निदेशक (प.
	दादरा और नगर हवेली, दमन	अहमदाबाद	ક્ષ <u>ે.),</u>
	और दीव, गोवा, गुजरात और		कर्मचारी चयन आयोग,
	महाराष्ट्र		प्रथम तल, दक्षिण विंग,
			प्रतिष्ठा भवन,
			101, महर्षि कर्वे मार्ग,
			मुंबई, महाराष्ट्र-
			400020
			(www.sscwr.net)

# 4. पदों के ब्यौरे/विवरण इस विज्ञपति के अनुबंध-॥। में दिए गए हैं।

- (क) इन रिक्तियों को संबंधित मांगकर्ता विभागों / कार्यालयों द्वारा भेजी गई मांग के अनुसार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित किया गया है । मांगकर्ता विभागों / कार्यालयों द्वारा रिक्तियां वापस लेने/रिक्तियों में परिवर्तन के लिए कर्मचारी चयन आयोग उत्तरदायी नहीं होगा ।
- (ख) वे अभ्यर्थी, जो एक से अधिक पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं, उन्हें पद के शैक्षिक स्तर पर ध्यान दिए बिना प्रत्येक पद के लिए अलग अलग आवेदन करना चाहिए।

### 5. प्रयुक्त संक्षिप्तियाँ:

एआईएसएलः अखिल भारतीय सेवा दायित्व, बीएलः दोनों पैर प्रभावित, सीजीसीई: केन्द्रीय सरकार सिविलयन कर्मचारी, डी / ओ: विभाग, डीक्यू: वांछनीय योग्यता, ईक्यू: अनिवार्य योग्यता, ईएसएम: भूतपूर्व सैनिक, ईड्ब्लूएस: आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, जीईएन: सामान्य एचएच: श्रवन दिव्यांग आईपी: प्रारंभिक पोस्टिंग, जेआर: नौकरी की आवश्यकताएं, एलवी: अल्प दृष्टि, एम / ओ: मंत्रालय, एनए: लागू नहीं, ओ/ओ : का कार्यालय, ओए: एक वाह प्रभावित, ओबीसी: अन्य पिछड़ा वर्ग, ओईए: अन्य नियोजित आवेदक। ओएच: अस्थि दिव्यांग, ओएल: एक पैर प्रभावित, पीडी: आंशिक बधिर, पीडब्ल्यूडी: दिव्यांग व्यक्ति एससी: अनुसूचित जाति, एसएससी: कर्मचारी चयन आयोग; एसटी: अनुसूचित जनजाति, यूआर: अनारक्षित,

### 6. राष्ट्रीयता/नागरिकताः

अभ्यर्थी या तो :

वीएच: दृष्टि दिव्यांग,

6.1 (क) भारत का नागरिक हो, या

- (ख) नेपाल की प्रजा हो, या
- (ग) भूटान की प्रजा हो, या
- (घ) ऐसा तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी रूप से बसने की इच्छा से 1 जनवरी,1962 से पहले भारत में आ गया हो, या
- (ङ) भारतीय मूल का ऐसा व्यक्ति हो, जिसने भारत में स्थायी रूप से रहने की इच्छा से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, पूर्वी अफ्रीकी देशों केन्या,यूगांडा, संयुक्त गणराज्य तंजानिया(भूतपूर्व टंगानिका व जंजीबार), जांबिया ,मालावी,जायरे, इथोपिया और वियतनाम से प्रवर्जन किया हो।
- 6.2 बशर्ते कि उपरोक्त (ख),(ग),(घ) तथा (ङ) श्रेणियों का अभ्यर्थी ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पक्ष में भारत सरकार द्वारा पात्रता प्रमाणपत्र जारी किया गया हो ।
- 6.3 ऐसे अभ्यर्थी, जिनके मामले में पात्रता का प्रमाणपत्र आवश्यक है, उसे परीक्षा में प्रवेश दिया जा सकता है, परन्तु नियुक्ति का प्रस्ताव भारत सरकार द्वारा आवश्यक पात्रता प्रमाणपत्र जारी करने के बाद ही उसे दिया जाएगा ।

## 7. आवेदन शुल्कः

- (i) देय शुल्क रु. 100/- (केवल एक सौ रुपये)
- 1. (ii) शुल्क का भुगतान भीम यूपीआई, नेट बैंकिंग, वीसा, मास्टर कार्ड, मैस्ट्रो, रूपे क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का उपयोग करके या एसबीआई चालान जनरेट करके एसबीआई की शाखाओं में किया जा सकता है।
  - (iii) सभी महिला अभ्यर्थियों और अनुसूचित जाति(अ.जा.), अनुसूचित जनजाति(अजजा), शारीरिक रूप से दिव्यांग श्रेणी से संबंधित अभ्यर्थियों(शा.दि.) एवं आरक्षण के पात्र भूतपूर्व सैनिकों(भूपूसै) को आवेदन शुल्क का भुगतान करने से छूट प्रदान की गई है।
  - (iv) अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन दिनांक 02.09.2019 (1700 बजे) तक कर सकते है । तथापि जो अभ्यर्थी एसबीआई चालान के माध्यम से नकद भुगतान करना चाहते है वह अभ्यर्थी दिनांक 04.09.2019 तक बैंक के कार्य-समय के

भीतर एसबीआई की नामित शाखाओं में नकद भुकतान कर सकते है, बशर्ते कि चालान दिनांक 02.09.2019 (1700 बजे) से पहले चालान तैयार कर लिया हो।

- (v) निर्धारित शुल्क भुगतान किए बिना प्राप्त आवेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा और उन्हें तत्काल निरस्त कर दिया जाएगा। इस तरह के अस्वीकरण के खिलाफ कोई अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। एक बार भुगतान किए जाने वाले शुल्क को किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जाएगा और न ही इसे किसी अन्य परीक्षा या चयन के लिए समायोजित किया जाएगा।
- (vi) जिन अभ्यर्थियों को शुल्क भुगतान से छूट नहीं है, उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनका शुल्क कचआ में जमा हो गया है। यदि कचआ द्वारा शुल्क प्राप्त नहीं हुआ है, तो आवेदन पत्र की स्थिति 'Incomplete' दर्शाएगा तथा यह सूचना आवेदनपत्र के शीर्ष पर मुद्रित होगी। इसके अलावा शुल्क भुगतान की स्थिति के बारे में अभ्यर्थी की लॉग-इन स्क्रीन में मुहैआ किए गए लिंक "Payment Status' पर जांच की जा सकती है। ऐसे आवेदन जिनकी स्थिति शुल्क भुगतान प्राप्त न होने के कारण, अभी भी अपूर्ण है, को सरसरी तौर पर निरस्त कर दिया जाएगा तथा परीक्षा के विज्ञप्ति में विनिर्दिष्ट अविध के बाद ऐसे आवेदनों के शुल्क भुगतान के संबंध में किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।
- (vii) एक बार भुगतान किया गया शुल्क किसी भी परिस्थिति में वापिस नहीं किया जाएगा और न ही उसका समायोजन किसी अन्य परीक्षा या चयन के लिए किया जाएगा । आवेदन किए गए पद की प्रत्येक श्रेणी के लिए अलग से शुल्क का भुगतान किया जाना चाहिए।

### आवेदन कैसे करें :

i) अभ्यर्थियों को पद की प्रत्येक श्रेणी के लिए अलग-अलग आवेदन करना होगा और प्रत्येक श्रेणी के लिए शुल्क का भुगतान करना होगा।

- ii) आवेदनों को कर्मचारी चयन आयोग मुख्यालय की आधिकारिक वेबसाइट अर्थात् <a href="http://ssc.nic.in">http://ssc.nic.in</a> पर केवल ऑनलाइन माध्यम से ही प्रस्तुत करना अपेक्षित है । विस्तृत अनुदेशों के लिए, कृपया इस विज्ञपति के अनुबंध-IV और अनुबंध-V को देखें ।
- iii) ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 31.08.2019 (सायं 5.00 बजे) है ।
- (iv) अभ्यर्थियों को उनके अपने हित में सलाह दी जाती है कि आवेदन प्रस्तुत करने के अंतिम दिनों के दौरान वेबसाइट पर अत्यधिक दवाब होने के कारण कर्मचारी चयन आयोग की वेबसाइट पर लॉग-इन करते समय विसंबंधन/असमर्थता अथवा असफलता की संभावना से बचने के लिए अंतिम तिथि तक प्रतीक्षा न करें तथा अंतिम तिथि से पर्याप्त समय पहले ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत कर दें।
- v) यदि अभ्यर्थी पूर्वकथित कारणों अथवा आयोग के नियंत्रण से परे किसी अन्य कारण से अपने आवेदन अंतिम तिथि के भीतर प्रस्तुत करने में असमर्थ रहते हैं तो इसके लिए आयोग किसी उत्तरदायित्व को स्वीकार नहीं करता है।
- vi) अभ्यर्थियों को एक पद के लिए केवल एक बार ही आवेदन करना चाहिए ।
- ऑनलाइन आवेदनों को भरने की कार्यविधि अनुबंध-।(क) में दी गई है ।
  - vii)ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र के सफलतापूर्वक प्रस्तुतीकरण के पश्चात, अभ्यर्थियों को आवेदन प्रपत्र का प्रिंट आउट अवश्य लेना चाहिए तथा इसे विधिवत रूप में स्व अनुप्रमाणित अपेक्षित दस्तावेजों के साथ उस समय जमा करें जब कंप्यूटर आधारित परीक्षा के आयोजन के बाद आयोग द्वारा ऐसा करने के लिए कहा जाए।
  - viii) कंप्यूटर आधारित परीक्षा के पश्चात्, अभ्यर्थियों द्वारा अपने आवेदनों में दी गई सूचना को आयोग द्वारा मूल

दस्तावेजों के साथ सत्यापित किया जाएगा। दस्तावेजों के सत्यापन के दौरान, यदि यह पाया जाता है कि आवेदन में अभ्यर्थी द्वारा दी गई कोई सूचना गलत है तो उसकी अभ्यर्थिता को तत्काल अस्वीकार कर दिया जाएगा। अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उन्होंने आवेदन प्रपत्र में सही सूचना भरी है।

# 9. अनिवार्य योग्यता(अ.यो) और आयु सीमा के लिए निर्णायक तिथि:

- (i) संबंधित प्रयोक्ता विभागों / मंत्रालयों की आवश्यकता के अनुसार, प्रत्येक पद के लिए अनिवार्य योग्यता(अ.यो.) और आयु सीमा के बारे में इस विज्ञप्ति के अनुबंध-III में दिए गए पद(पदों) के ब्यौरे/ विवरण में उल्लेख किया गया है।
- (ii) आयु सीमा और अनिवार्य योग्यता(अ.यो.)/अनुभव का निर्धारण करने के लिए निर्णायक तिथि 01.08.2019 होगी।
- (iii) पद के लिए आवेदन करने से पूर्व, अभ्यर्थी यह सुनिश्चित करें कि उनके पास अनुभव सहित अनिवार्य योग्यता है जहां कहीं इसे अनिवार्य योग्यता के रूप में विहित किया गया है और वे ऊपर पैरा 9(ii) में उल्लिखित निर्णायक तारीख को आयु सीमा को भी पूरा करते हैं।
- (iv) जिन पदों के लिए अनुभव की आवश्यकता है, ऐसा अनुभव अभ्यर्थियों द्वारा संबंधित पद के लिए विनिर्दिष्ट शैक्षिक योग्यता पूरी करने के बाद ही किया जाना चाहिए। इसके अलावा, शैक्षिक योग्यता प्राप्त करने के दौरान प्राप्त किया गया इंटर्नशिप, प्रशिक्षण, अनुसंधान अनुभव, आदि अनुभव के रूप में नहीं गिना जाएगा। (v) उन पदों के लिए जहां एक विशिष्ट अवधि के लिए किसी विशेष क्षेत्र/विधा में अनुभव का एक अनिवार्य योग्यता के रूप में उल्लेख किया गया है, आवेदकों को आवेदन प्रपत्र के प्रिंट आउट के साथ सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त उस क्षेत्र/विधा में अनुभव होने के अपने दावे के समर्थन में प्रमाणपत्र की स्व-अनुप्रमाणित प्रति प्रस्तुत करनी चाहिए जब इस आयोग द्वारा इसे मांगा जाए,

### ऐसा न करने पर उनके आवेदन को अस्वीकार कर दिया जाएगा।

- (vi) यदि अभ्यर्थी दावा करते हैं कि उनकी शैक्षणिक योग्यताएं, विहित अनिवार्य योग्यताओं के समकक्ष हैं तो समकक्षता के समर्थन में भारत सरकार/राज्य सरकार अथवा सक्षम प्राधिकारी जहां से उन्होंने शैक्षणिक योग्यता प्राप्त की थी, द्वारा जारी आवश्यक दस्तावेजों/प्रमाणपत्रों(संख्या और दिनांक सहित आदेश/ पत्र) को प्रस्तुत करने का उत्तरदायित्व अभ्यर्थियों का है, ऐसा न करने पर उनके आवेदन को अस्वीकार कर दिया जाएगा।
- (vii) ऐसे पद(पदों) के संबंध में, जहां अनिवार्य योग्यता के रूप में संगत भाषा में प्रवीणता अपेक्षित है, अभ्यर्थी ने उस भाषा का मैट्रिक स्तर तक अवश्य अध्ययन किया हो और यदि संगत भाषा मैट्रिक में एक विषय के रूप में नहीं पढ़ाई जाती है तो उक्त भाषा आवेदक की मातृभाषा अवश्य होनी चाहिए।
- (viii) भारत के राजपत्र में प्रकाशित मानव संसाधन विकास मंत्रालय की दिनांक 10.06.2015 की अधिसूचना के अनुसार संसद अथवा राज्य विधान मंडल के किसी अधिनियम द्वारा स्थापित विश्वविद्यालयों, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अंतर्गत विश्वविद्यालयवत् संस्थाओं और संसद के किसी अधिनियम के अंतर्गत घोषित राष्ट्रीय महत्व की संस्थाओं द्वारा मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षण पद्धति के माध्यम से प्रदान की गई समस्त डिप्लोमा/डिग्नियां/प्रमाणपत्र केन्द्र सरकार के अंतर्गत पदों और सेवाओं में नियोजन के प्रयोजन से स्वतः ही मान्यता प्राप्त हैं बशर्ते, उनको विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुमोदन हो । तदनुसार, जब अभ्यर्थी ने वह योग्यता हासिल की थी यदि ऐसी डिग्नियां संगत अविध के लिए मान्यताप्राप्त नहीं है तो उन्हें शैक्षिक योग्यता के उद्देश्य के लिए स्वीकार नहीं किया जाएगा
- (ix) शासकीय राजपत्र में भाग-1(2)(पी) के अधीन दिनांक 23.06.2017 को प्रकाशित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग(मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षण) विनियमावली,2017 के अनुसार अभियांत्रिकी,चिकित्सा, दंत चिकित्सा, नर्सिंग, फार्मेसी, वास्तुकला तथा भौतिक चिकित्सा पाठ्यक्रमों में मुक्त

एवं दूरस्थ शिक्षण पद्धति के अधीन शिक्षण की अनुमति नहीं है।

# 11. आयु-सीमा और ऊपरी आयु-सीमा में छूट :-

(i) पद (पदों) की विशिष्ट श्रेणी के लिए आयु-सीमा का <u>अनुबंध-</u> ॥ में पद की प्रत्येक श्रेणी के सामने उल्लेख किया गया है ।

(ii) जन्म तिथि का प्रमाण

आयोग द्वारा आयु पात्रता के निर्धारण के लिए मैट्रिक/माध्यमिक परीक्षा प्रमाण पत्र अथवा समकक्ष प्रमाणपत्र में अंकित जन्मतिथि ही स्वीकार की जाएगी तथा बाद में इसमें किसी परिवर्तन के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा और न ही इसकी अनुमित दी जाएगी।

(iii) ऊपरी आयु-सीमा में छूटः

आवेदकों की पात्र श्रेणियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में स्वीकार्य छूट नीचे दी गई है :

भाष दा गा		
श्रेणी कोड	श्रेणी	ऊपरी आयु
		सीमा के
		अतिरिक्त आयु
		में
		स्वीकार्य(अनुज्ञेय)
		छूट
01.	अजा/अजजा	05 वर्ष
02.	अपिव	03 वर्ष
03.	शा दि	10 वर्ष
04.	शा दि +अपिव	13 वर्ष
05.	शा दि+ अजा/अजजा	15 वर्ष
06.	भूतपूर्व सैनिक(भूपूसै)	अन्तिम तिथि को
		वास्तविक आयु में
		से सैन्य सेवा की
		अवधि घटाने के
		बाद 03 वर्ष
07.	अभ्यर्थी जो साधारणतया ०१ जनवरी,१९८० से ३१	5 वर्ष
	दिसम्बर,1989 तक की अवधि के दौरान जम्मू व	
	कश्मीर राज्य के अधिवासी रहे हों।	
08.	किसी दूसरे देश से संघर्ष के दौरान अथवा किसी	3 वर्ष
	उपद्रवग्रस्त इलाके में फौजी कार्रवाई के दौरान	
	अशक्त हुए और उसके परिणामस्वरूप नौकरी	
	से निर्मुक्त हुए रक्षा कार्मिक	

09.	किसी दूसरे देश से संघर्ष के दौरान अथवा किसी उपद्रवग्रस्त इलाके में फौजी कार्रवाई के दौरान अशक्त हुए और उसके परिणामस्वरूप नौकरी से निर्मुक्त हुए रक्षा कार्मिक (अजा/अजजा)	
10.	केवल समूह 'ग' पदों के लिए जो कि उसी पंक्षत अथवा संबद्ध संवर्गों में हैं। केंद्र सरकार के सिविल कर्मचारी जिन्होंने आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तिथि को कम से कम 03 वर्षों की नियमित व निरंतर सेवा की हो	40 वर्ष की आयु तक
11.	केवल समूह 'ग' पदों के लिए जो कि उसी पंक्षत अथवा संबद्ध संवर्गों में हैं। केंद्र सरकार के सिविल कर्मचारी (अजा/अजजा) जिन्होंने आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तिथि को कम से कम 03 वर्षों की नियमित व निरंतर सेवा की हो	45 वर्ष की आयु तक
12.	केवल समूह 'ग' पदों के लिए विधवाएं/तलाकशुदा महिलाएं तथा अपने पति से न्यायिक विच्छेद प्राप्त महिलाएं जिन्होंने पुनः विवाह न किया हो	35 वर्ष की आयु तक
13.	केवल समूह 'ग' पदों के लिए विधवाएं/तलाकशुदा महिलाएं तथा अपने पति से न्यायिक विच्छेद प्राप्त महिलाएं जिन्होंने पुनः विवाह न किया हो (अजा/अजजा)	40 वर्ष की आयु तक
14.	सशस्त्र सेना में अपनी कलर सेवां के अन्तिम वर्ष में सैन्य क्लर्क	45 वर्ष की आयु तक
15.	सशस्त्र सेना में अपनी कलर सेवा के अन्तिम वर्ष में सैन्य क्लर्क(अजा/अजजा)	50 वर्ष की आयु तक
16.	भारत के महापंजीयक के कार्यालय के छांटे गए जनगणना कर्मचारी(उन पर उनके योग्यता क्रम और रिक्तियों की उपलब्धता के आधार पर भारत के महापंजीयक के अंतर्गत आने वाले कार्यालयों के लिए ही विचार किया जाएगा)	3 वर्ष+ छंटाई से पूर्व जनगणना के संबंध में उनके द्वारा दी गई सेवा की अवधि और पूर्व सेवा लाभ

टिप्पणी: 1 - आरिक्षत श्रेणी के आवेदकों के लिए आयु में छूट केवल ऐसी श्रेणी के लिए आरिक्षत रिक्तियों के मामले में स्वीकार्य है। आरिक्षत श्रेणी के आवेदक, जो अनारिक्षत श्रेणी के पद के लिए आवेदन करते है, उन्हें उसी सीमा तक आयु में छूट प्राप्त होगी, जो कि अनारिक्षत श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध है।

टिप्पणी: 2 - ऊपरी आयु सीमा में छूट प्राप्त करने के लिए अभ्यर्थियों को अपनी पात्रता की सावधानीपूर्वक जांच करनी होगी। यदि वे पात्र हैं तो उन्हें उनके लिए यथा-लागू सही आयु छूट कोड को भरना अपेक्षित होगा।

### 11. शुल्क में रियायत, आयु में छूट तथा आरक्षण इत्यादि की मांग के लिए शर्तें

### क. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति(अजा/अजजा) आवेदकों के लिए

शुल्क में रियायत, आयु में छूट तथा आरक्षण इत्यादि की मांग कर रहे अजा/अजजा आवेदकों को जब कभी आयोग द्वारा मांगा जाए अपने आवेदन प्रपत्र के प्रिंट आउट के साथ प्रारूप के अनुसार (इस विज्ञप्ति का (अनुबंध-VI) सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त (इस विज्ञप्ति का परिशिष्ट-I) अपेक्षित प्रमाणपत्र निरपवाद रूप से संलग्न करना होगा, जिसमें यह प्रमाणित किया गया हो कि उनकी उप जातियां/समुदाय, अजा और अजजा श्रेणी के अधीन भारत सरकार द्वारा अनुमोदित हैं, अन्यथा शुल्क में रियायत, आयु में छूट और आरक्षण इत्यादि के उनके दावों पर विचार नहीं किया जाएगा।

### ख. अन्य पिछड़े वर्ग(अपिव) आवेदकों के लिए

अन्य पिछड़े वर्ग के आवेदक जो भारत सरकार के समय-समय पर यथा-संशोधित स्थायी अनुदेशों के अनुसार क्रीमी लेयर के अंतर्गत नहीं हैं और आयु में छूट तथा आरक्षण इत्यादि की मांग कर रहे हैं, उन्हें अपने आवेदन प्रपत्र के प्रिंट आउट के साथ प्रारूप के अनुसार (अनुबंध-VII) अपेक्षित प्रमाणपत्र निरपवाद रूप से संलग्न करना होगा। अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण के आधार पर नियुक्ति की मांग कर रहे व्यक्ति को अवश्य सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके पास जाति/समुदाय का प्रमाण पत्र है तथा वह निर्णायक तिथि को क्रीमी लेयर में नही आता/आती है। इस प्रयोजन के लिए निर्णायक तिथि, आवेदन पत्रों को प्राप्त करने की अंतिम तिथि अर्थात 31.08.2019 होगी। अभ्यर्थी, उपरोक्त के संबंध में यह भी नोट करें कि उनकी अभ्यर्थिता तब तक अनंतिम रहेगी, जब तक कि

नियुक्ति प्राधिकारी\_द्वारा संबंधित दस्तावेज की यथातथ्यता की पुष्टि नहीं कर ली जाती ।

ग. शारीरिक रूप से दिव्यांग(शा.दि.) (दिव्यांग व्यक्तियों)(अस्थि दिव्यांग/श्रवण दिव्यांग/दृष्टि दिव्यांग/अन्य) आवेदकों के लिए :

शारीरिक रूप से दिव्यांग व्यक्तियों(शा.दि.) के लिए पदों की उपयुक्तता तथा दिव्यांगता की स्वीकार्य प्रकृति का उल्लेख अनुबंध-॥ में पद की प्रत्येक श्रेणी के सामने किया गया है। शारीरिक रूप से दिव्यांग अभ्यर्थियों को केवल उन पदों के लिए आवेदन करना चाहिए, जिन पदों के लिए वे पात्र हैं।

- ं केवल वे शारीरिक रूप से दिव्यांग(शा.दि.) व्यक्ति, जिन्हें
   <u>बेंचमार्क दिव्यांगता</u> है, शुल्क में रियायत, आयु में छूट, आरक्षण इत्यादि के लिए पात्र हैं।
- ii. उन्हें जब कभी आयोग द्वारा मांगा जाए अपने आवेदन प्रपत्र के प्रिंट-आउट के साथ, प्रारूप [अनुबंध-VIII(प्रपत्र-V)/( प्रपत्र-VI)/ प्रपत्र-VII)] के अनुसार अपेक्षित प्रमाणपत्र निरपवाद रूप से संलग्न करना होगा, अन्यथा शारीरिक रूप से दिव्यांग प्रस्थिति के उनके दावे पर विचार नहीं किया जाएगा । दिव्यांग जन (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 (1996 का 1) के लिए जारी दिव्यांगता का प्रमाण पत्र भी मान्य होगा

### घ. **शारीरिक रूप से दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए विशेष** अनुदेश ।

क. जैसा कि "दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016" दिनांक 19.04.2017 से लागू हो चुका है तथा अस्थि दिव्यांग, श्रवण दिव्यांग तथा दृष्टि दिव्यांग श्रेणियों के अलावा, इसमें दिव्यांगता की नई श्रेणियों जैसे ऑटिज्म, बौनापन, अम्ल हमले के पीड़ित, मांसपेशीय दुर्विकास, बौद्धिक दिव्यांगता, विशिष्ट शिक्षण दिव्यांगता, मानसिक रूग्णता एवं बहु-दिव्यांगता इत्यादि को शामिल किया गया है। इस प्रकार, ऐसी दिव्यांगताओं से पीड़ित अभ्यर्थी भी ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र में अपनी दिव्यांगताओं का ब्यौरा देते हुए आवेदन कर सकते हैं।

तथापि, उनका चयन इन श्रेणियों के लिए उपयुक्त पदों की पहचान और मांगकर्ता विभागों द्वारा रिक्तियों की सूचना देने के अध्यधीन होगा । कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 15.01.2018 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36035/02/2017-स्था.(आरक्षण)(पैरा 2.2) के तहत यथा-निर्धारित विभिन्न दिव्यांगताओं से पीड़ित अभ्यर्थी ऑनलाइन पंजीकरण/आवेदन प्रपत्र में निम्नलिखित दिव्यांगजन श्रेणियों

को चुन सकते हैं :

711 3	1 (197(1 ()).	
क्रम	दिव्यांगता की किस्म	पंजीकरण/आवेदन प्रपत्र में
संख्या		चयनित की जाने वाली
		दिव्यांगता की श्रेणी
(ক)	दृष्टिहीनता एवं अल्प दृष्टि	दृष्टि दिव्यांग
(ख)	बधिर एवं कम सुनने वाला	श्रवण दिव्यांग
( <del>1</del> )	प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात से पीड़ित ,	अस्थि दिव्यांग
	ठीक किया हुआ कुष्ठ, बौनापन,	
	अम्ल हमले से पीड़ित तथा	
	मांसपेशीय दुर्विकास सहित चालन	
	संबंधी दिव्यांगता ।	
(ঘ)	ऑटिज्म, बौद्धिक दिव्यांगता,	
	विशिष्ट शिक्षण दिव्यांगता और	
	मानसिक रूग्णता ।	200
(ङ)	बिधर- दृष्टिहीनता सहित (क) से	अन्य
	(घ) खंडो के अन्तर्गत पीड़ित	
	व्यक्तियों को साथ-साथ बहु-	
	दिव्यांगताएं	

#### ङ. अतिरिक्त समय तथा प्रलिपिक की सहायता का प्रावधान

- (i) अंधापन, लोकोमोटर विकलांगता (दोनों हाथ प्रभावित-बीए) और प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात की श्रेणी में बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के मामले में, प्रलिपिक की सुविधा प्रदान की जाएगी, बशर्तें कि ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय इसका अनुरोध किया गया हो।
- (ii) बेंचमार्क दिव्यांगताओं वाले व्यक्तियों की अन्य श्रेणी के मामले में, अनुबंध-। पर दिए गए प्रोफार्मा के अनुसार सरकारी स्वास्थ्य देखरेख संस्था के मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन/चिकित्सा अधीक्षक से इस आशय का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर प्रलिपिक की सुविधा प्रदान की जाएगी कि संबंधित व्यक्ति की लिखने की शारीरिक सीमाएं हैं और उसकी ओर से परीक्षा में लिखने के लिए प्रलिपिक अत्यावश्यक है।
- (iii) अभ्यर्थी के पास अपने प्रलिपिक अथवा आयोग द्वारा मुहैआ किए गए प्रलिपिक की सुविधा में से किसी एक को चुनने का विवेकाधिकार होगा। ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र में अभ्यर्थी द्वारा इस संबंध में उपयुक्त विकल्प देना होगा।
- (iv) यदि अभ्यर्थी द्वारा अपने प्रलिपिक का विकल्प दिया जाता है तो प्रलिपिक की योग्यता, परीक्षा दे रहे अभ्यर्थी की योग्यता से एक स्तर नीचे होनी चाहिए। अपने प्रलिपिक के लिए विकल्प दे रहे बैंचमार्क दिव्यांगता वाले अभ्यर्थियों को अनुबंध-॥ पर दिए गए प्रोफार्मा के अनुसार अपने प्रलिपिक के ब्यौरे प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा। इसके अतिरिक्त प्रलिपिक को परीक्षा के समय मूल पहचान पत्र (पैरा -13.7 में दी गई सूची के अनुसार) प्रस्तुत करना होगा। प्रलिपिक के साथ साथ अभ्यर्थी द्वारा हस्ताक्षर किया गया पहचान पत्र की एक फोटोकॉपी अनुबंध-॥ प्रपत्र के साथ प्रस्तुत करना होगा। यदि बाद में यह पाया जाता है कि प्रलिपिक की योग्यता, अभ्यर्थी द्वारा घोषित योग्यता के अनुसार नहीं है, तो ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी पद के लिए अपने अधिकार और उससे जुड़े दावों को खो देगा।
- (v) ऐसे व्यक्तियों, जिन्हें उपरोक्त पैरा 11 ङ (i) और 11 ङ (ii) के अनुसार प्रलिपिक की सहायता लेने की अनुमित दी गई है, उन्हें परीक्षा में प्रति घंटा 20 मिनट का अतिरिक्त समय प्रदान किया जाएगा।

(vi) पैरा 11 ङ (i) और 11 ङ (ii) में संदर्भित अभ्यर्थी, जिन्हें प्रलिपिक की सहायता लेने की अनुमित दी गई है, लेकिन वे प्रलिपिक की सुविधा का लाभ नहीं ले रहे हैं, तो उन्हें भी परीक्षा में प्रतिघंटा 20 मिनट का अतिरिक्त समय प्रदान किया जाएगा।

(vii) शारीरिक दिव्यांग अभ्यर्थी जिन्होंने प्रलिपिक / पैसेज रीडर और / या प्रतिपूरक समय की सुविधा का लाभ उठाया है, उन्हें दस्तावेज़ सत्यापन के समय प्रलिपिक / प्रतिपूरक समय की पात्रता के लिए प्रासंगिक दस्तावेज़ प्रस्तुत करना होगा। ऐसे सहायक दस्तावेजों को प्रस्तुत न करने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा के लिए उनकी अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जाएगी।

(viii) परीक्षा परिसर के अन्दर पात्र अभ्यर्थियों के लिए प्रलिपिक के अलावा किसी परिचर को आने की अनुमित नहीं दी जाएगी ।

(ix) प्रश्नपत्र और उत्तर पत्रक ब्रेल में मुहैया नहीं कराए जाएंगे । हिष्टिहीन तथा चालीस प्रतिशत या इससे अधिक की हिष्ट दिव्यांगता वाले आंशिक रूप से हिष्टिहीन अभ्यर्थियों सिहत हिष्ट दिव्यांग अभ्यर्थी अंकगणितीय समस्याओं को हल करने के लिए स्वयं अपना टेलर फ्रेम और कागज के साथ ब्रेल स्लेट ला सकते हैं । एक आँख वाले और आंशिक रूप से हिष्टिहीन अभ्यर्थी जो आवर्धक लैन्स(मैग्नीफाइंग ग्लास) से अथवा बिना आवर्धक लैन्स(मैग्नीफाइंग ग्लास) के सामान्य प्रश्नपत्र पढ़ने में सक्षम हैं और जो आवर्धक लैन्स(मैग्नीफाइंग ग्लास) की सहायता से उत्तर लिखना/दर्शाना चाहते हैं, उन्हें परीक्षा भवन में आवर्धक लैन्स(मैग्नीफाइंग ग्लास) का प्रयोग करने की अनुमित दी जाएगी तथा वे किसी प्रलिपिक की सेवाओं के हकदार नहीं होंगे । ऐसे अभ्यर्थियों को परीक्षा भवन में स्वयं अपना आवर्धक लैन्स (मैग्नीफाइंग ग्लास) लाना होगा।

# च. भूतपूर्व सैनिक(भूपूसै) आवेदकों के लिए विशेष अनुदेश

(i) शुल्क में रियायत, आयु में छूट और आरक्षण इत्यादि की मांग कर रहे भूतपूर्व सैनिक आवेदकों को जब कभी आयोग द्वारा मांगा जाए अथवा दस्तावेज सत्यापन के समय सक्षम प्राधिकारी (इस विज्ञप्ति का परिशिष्ट-।) से प्राप्त प्रारूप अनुबंध-।X के अनुसार अपेक्षित प्रमाणपत्र निरपवाद रूप से संलग्न करना होगा और प्रारूप अनुबंध-।X (क) के अनुसार एक घोषणापत्र भी प्रस्तुत करना

होगा, अन्यथा शुल्क में रियायत, आयु में छूट और आरक्षण इत्यादि के उनके दावों पर विचार नहीं किया जाएगा ।

- (ii) वर्तमान सरकारी आदेशों/अनुदेशों के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों के लिए केवल समूह 'ग' पदों की रिव्यतियां आरक्षित हैं।
- (iii) सशस्त्र सेनाओं में एक भूतपूर्व सैनिक की "काल अप सर्विस" की अविध आयु में छूट प्राप्त करने के उद्देश्य से नियमानुसार सशस्त्र सेनाओं में प्रदत्त सेवा के रूप में भी मानी जाएगी।
- (iv) भूतपूर्व सैनिक जिन्होंने पुनर्नियोजन के लिए भूतपूर्व सैनिकों को दिए गए आरक्षण का लाभ उठाते हुए केंद्र सरकार के सिविल सेवाओं में नियमित रूप से समूह 'ग' और 'घ' पदों पर रोजगार हासिल कर लिया गया है, वे भूतपूर्व सैनिक श्रेणी और शुल्क छूट के योग्य नहीं हैं । तथापि, वह अनुवर्ती रोजगार के लिए भूतपूर्व सैनिक के रूप में आरक्षण का लाभ उठा सकता है यदि सिविल रोजगार में शामिल होने के तुरंत बाद, उन विभिन्न रिक्तियों के लिए आवेदन करने के दिनांक वार ब्योरे के संबंध में संबंधित नियोक्ता को स्वयं घोषित/ वचनबंध किया हो जिसके लिए उन्होंने प्रारंभिक सिविल राजगार में कार्यभार ग्रहण करने से पहले आवेदन किया था जैसा कि कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा दिनांक 14 अगस्त 2014 को जारी कार्यालय ज्ञापन संख्या 36034/1/2014-स्थापना (आरक्षण) में यथा उल्लिखित है ।
- (v) एक मैट्रिकुलेट भूतपूर्व सैनिक (जिसमें वह भूतपूर्व सैनिक भी शामिल है, जिसने नौसेना या वायु सेना में भारतीय सेना के विशेष प्रमाण पत्र अथवा पत्राचार प्रमाण पत्र प्राप्त किया है), जिन्होंने संघ के सशस्त्र बलों में आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि (अर्थात 31.08.2019) की स्थिति तक कम से कम 15 वर्ष तक की सेवा की है, उन्हें केवल भूतपूर्व सैनिक के लिए आरक्षित पदों हेतु समूह 'ग' पद में नियुक्ति के लिए पात्र विचार किया जाएगा । इस प्रकार, वह मैट्रिकुलेट भूतपूर्व सैनिक जिन्होंने आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि को 15 वर्ष की सेवा पूरी नहीं की है, वे इन पदों के लिए पात्र नहीं हैं।

- (vi) भूपूसै के पुत्र-पुत्रियों और आश्रितों को आयु में छूट, शुल्क में रियायत, और आरक्षण स्वीकार्य नहीं है। अतः ऐसे अभ्यर्थियों को अपनी श्रेणी भूतपूर्व सैनिक के रूप में नहीं दर्शानी चाहिए।
- (vii) आरक्षण इत्यादि के लाभों को प्राप्त करने के प्रयोजन से भूतपूर्व सैनिक माने जाने के लिए संघ की तीनों सशस्त्र सेनाओं के किसी भी सैनिक के लिए आवश्यक है कि उसने इस पद/सेवा के लिए आवेदन पत्र भेजने के संगत समय पर भूपूसे का दर्जा पहले ही हासिल कर लिया हो ,अथवा उसे सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त दस्तावेजी सबूतों के द्वारा अपनी इस अर्जित हकदारी को सिद्ध करने की स्थिति में होना चाहिए कि वह आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तिथि (अर्थात 31.08.2019) से एक वर्ष की निर्धारित अवधि के भीतर सशस्त्र सेनाओं की विनिर्दिष्ट सेवा की अवधि पूरी कर लेगा । ऐसे अभ्यर्थियों को आवेदन प्राप्ति की अंतिम तारीख (अर्थात 31.08.2019) से एक वर्ष की निर्धारित अवधि के भीतर भूतपूर्व सैनिक का दर्जा अवश्य प्राप्त कर लिया होना चाहिए।

# (छ) भूतपूर्व सैनिक: भूपूसै से आशय उस व्यक्ति से है-

- (i) जिसने भारतीय संघ की नियमित थल सेना, नौ सेना या वायु सेना में लड़ाकू सैनिक अथवा गैर लड़ाकू सैनिक के रुप में किसी भी पद पर सेवा की हो, तथा
- (क) जो पेंशन प्राप्त हो जाने के बाद उस सेवा से निवृत हुआ हो। इसमें वे व्यक्ति भी शामिल हैं जो अपने अनुरोध पर कार्यमुक्त/सेवानिवृत्त हुए हों किंतु अपनी पेंशन लेने के बाद; या
- (ख) जिसे सैनिक सेवा/अपने नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियों के कारण ऐसी सेवा से चिकित्सा आधार पर कार्यमुक्त किया गया हो तथा जिसे चिकित्सा अथवा अन्य अक्षमता पेंशन दी गई हो; या
- (ग) जिसे कर्मचारियों में कटौती के परिणामस्वरुप उस सेवा से कार्यमुक्त किया गया हो; अथवा

- (ii) जिसे सेवा की विशिष्ट अवधि को पूरा करने के बाद, अपने अनुरोध अथवा दुराचरण अथवा अकुशलता के कारण सेवामुक्त या बर्खास्त न होकर किसी अन्य कारण से सेवामुक्त किया गया हो तथा जिसे सेवा उपदान दिया गया हो और इसमें प्रादेशिक सेना के कार्मिक शामिल हैं,नामतः निरंतर मूर्त सेवा अथवा अलग-अलग अवधियों में की गई अर्हक सेवा वाले पेंशनधारी: अथवा
- (iii) सैन्य डाक सेवा के कार्मिक जो कि नियमित सेना के अंग हैं और जो अपनी मूल सेवा में प्रत्यावर्तित हुए बिना सैन्य डाक सेवा से पेंशन सिहत सेवा निवृत्त हुए हैं अथवा अपने नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियों के कारण अथवा सैन्य सेवा के कारण चिकित्सा आधार पर अक्षम होकर सैन्य डाक सेवा से कार्यमुक्त हुए हैं और उन्हें चिकित्सा अथवा अन्य निःशक्तता पेंशन मिली हुई है; अथवा
- (iv) ऐसे कार्मिक जो 14 अप्रैल, 1987 से पूर्व सैन्य डाक सेवा में 06 माह से अधिक अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति पर थे; अथवा
- (v) प्रांतीय सेना के कार्मिक सहित सशस्त्र सेनाओं के वीरता पुरस्कार विजेता ; अथवा
  - (vi) भर्ती हुए भूतपूर्व सैनिक जिन्हें चिकित्सा आधार पर निकाला गया है अथवा कार्यमुक्त किया गया है और जिन्हें चिकित्सा निःशक्तता पेंशन दी गई है।

### (ज) केन्द्रीय सरकार के सिविल कर्मचारी(सीजीसीई)आवेदकों के लिए अनुदेश

(i) केन्द्र सरकार के सिविल कर्मचारी, जिन्होंने आवेदनों की प्राप्ति की अंतिम तिथि अर्थात 31.08.2019 को नियमित आधार(और तदर्थ आधार पर न हो) पर कम से कम 03 वर्ष की निरन्तर सेवा प्रदान की हो और उसे भारत सरकार के किसी विभाग/कार्यालय में सिविल पद धारण करते हुए केन्द्रीय सरकार की सेवा में तब तक कार्यरत रहना चाहिए जब तक कि अभ्यर्थी को उस कार्यालय/विभाग से नियुक्ति प्रस्ताव प्राप्त नहीं हो जाता, जहां अभ्यर्थी की नियुक्ति के लिए अंतिम रूप से संस्तुति की गई है। (ii) आयु में छूट प्राप्त करने के लाभ का दावा करने के लिए उन्हें अपने आवेदन प्रपत्र के प्रिंट आउट के साथ सक्षम प्राधिकारी(इस विज्ञप्ति का परिशिष्ट-।) से प्रारूप अनुबंध-X के अनुसार अपेक्षित प्रमाणपत्र, निरपवाद रूप से संलग्न करना होगा तथा अनुबंध-X (क) के अनुसार एक घोषणा पत्र भी प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा आयु में छूट प्राप्त करने के उनके दावों पर विचार नहीं किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, दस्तावेजों के सत्यापन के समय उन्हें अपने नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने होंगे, ऐसा न करने पर उनकी अभ्यर्थिता को भर्ती प्रक्रिया के उसी स्तर पर ही अथवा किसी भी स्तर पर निरस्त किया जा सकता है।

टिप्पणी:-अभ्यर्थी नोट करें कि यदि परीक्षा में शामिल होने के लिए आवेदन कर रहे अभ्यर्थियों की अनुमित रोकने के संबंध में आयोग को उनके नियोक्ता से कोई सूचना प्राप्त होती है, तो उनके आवेदनों को अस्वीकार कर दिया जाएगा तथा उनकी अभ्यर्थिता को निरस्त कर दिया जाएगा।

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईड्ब्लूएस)

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के रूप में आरक्षण प्राप्त करने के लाभ का दावा करने हेतु जब कभी आयोग द्वारा मांगा जाए उन्हें अपने आवेदन प्रपत्र के प्रिंट आउट के साथ सक्षम प्राधिकारी(इस विज्ञप्ति का परिशिष्ट-।) से प्रारूप अनुबंध-XI के अनुसार अपेक्षित प्रमाणपत्र, निरपवाद रूप से प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा आरक्षण के लिए उनके दावों पर विचार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी द्वारा आय और संपत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की निर्णायक तिथि को ऑनलाइन आवेदन प्राप्ति के लिए अंतिम तिथि (अर्थात 31.08.2019) के रूप में माना जाएगा। अभ्यर्थी उपरोक्त के संबंध में यह भी ध्यान दे कि, उनकी अभ्यर्थिता तब तक अनंतिम रहेगी, जब तक कि संबंधित दस्तावेजों का सत्यापन नियक्ति प्राधिकारी द्वारा नहीं की जाती है।

#### 12. परीक्षा की रूपरेखाः

(i) जिन पदों के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता मैट्रिकुलेशन, उच्च माध्यमिक तथा स्नातक और उससे ऊपर के स्तर की है, उनके लिए तीन अलग-अलग कंप्यूटर आधारित परीक्षाएं

### आयोजित की जाएंगी जिनमें वस्तुपरक/बहु विकल्पीय चयन वाले प्रश्न होंगे । विषय के ब्योरे, अंकों और विषय-वार प्रश्नों की संख्या का ब्यौरा निम्नलिखित है :-

			-	
भाग	विषय	प्रश्नों	अधिकतम	कुल अवधि
		की	अंक	
		संख्या		
क	सामान्य बुद्धिमत्ता	25	50	60 मिनट ( पैरा 11ङ
ख	सामान्य	25	50	(i) तथा11ङ (ii) के अनुसार प्रलिपिक के
	जानकारी			लिए पात्र अभ्यर्थियों के
ग	परिमाणात्मक	25	50	लिए 80 मिनट)
	अभिरूचि			
	(प्रारंभिक			
	अंकगणित			
	कौशल)			
घ	अंग्रेजी भाषा	25	50	
	(प्रारंभिक ज्ञान)			

- (ii) प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.50 अंक काटे जाएंगे।
- (iii) कम्प्यूटर आधारित परीक्षा में अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंक आयोग द्वारा दिनांक 07.02.2019 को विज्ञप्ति संख्या 1-1/2018- नीति एवं योजना —। के माध्यम से सुत्र का उपयोग करके सामान्यकृत किए जाएंगे और ऐसे सामान्यीकृत अंकों का उपयोग अंतिम योग्यता और कट निर्धारित करने के लिए किया जाएगा।
- (iv) 40% और इससे अधिक दृष्टि दिव्यांगता वाले दृ.दि. अभ्यर्थियों के लिए, सामान्य बुद्धिमत्ता / परिमाणात्मक अभिरूचि विषयों में नक्शा / आलेख / आरेख / सांख्यिकी डेटा का कोई घटक नहीं होगा।
- (v) टंकण / डेटा एंट्री / कंप्यूटर प्रवीणता परीक्षा , आदि जैसे कौशल परीक्षाएं, जहाँ आवश्यक योग्यता में निर्धारित किया गया है, का आयोजन किया जाएगा, जो अर्हक प्रकृति का होगा।
- (vi) आयोग को अन्य बातों के साथ-साथ श्रेणी वार रिक्तियों और अभ्यर्थियों की श्रेणी वार संख्या को ध्यान में रखते हुए परीक्षा के प्रत्येक घटक में विभिन्न न्यूनतम अर्हक मानक निर्धारित करने का विवेकाधिकार होगा।

(vii) परीक्षा के आयोजन के उपरांत आयोग की वेबसाइट पर अनंतिम उत्तर कुंजियां प्रस्तुत की जाएंगी ।अभ्यर्थी अपने परीक्षा प्रारूप से संबंधित अनंतिम उत्तर कुंजियों को देख सकते हैं और अनंतिम उत्तर कुंजियों को अपलोड करते समय आयोग द्वारा दी गयी समय-सीमा के भीतर अपनी आपतियां, यदि कोई हैं, तो 100/-रू. प्रति उत्तर के भुगतान पर केवल ऑनलाइन माध्यम से ही दे सकते हैं । अनंतिम उत्तर कुंजियों को अपलोड करते समय आयोग द्वारा नियत समय-सीमा के भीतर प्राप्त उत्तर कुंजियों के संबंध में प्राप्त किसी भी अभ्यावेदन की जांच की जाएगी और इस संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा । इसके पश्चात उत्तर कुंजियों के संबंध में कोई अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा ।

# (viii) कंप्यूटर आधारित परीक्षा के लिए संकेतक पाठ्यक्रम

# (क) <u>मैट्रिकुलेशन स्तर</u>

सामान्य बुद्धिमत्ता: इसमें गैर-शाब्दिक प्रकार के प्रश्न शामिल होंगे। इस परीक्षा में समानताओं तथा अंतरों, स्थानिक कल्पना, समस्या समाधान, विश्लेषण, निर्णय, निर्णय लेना, दृश्य स्मृति, विभेद, अवलोकन, संबंध अवधारणा, आंकडे वर्गीकरण, अंकगणितीय संख्या श्रृखंला, गैर-शाब्दिक श्रृखंला से संबंधित प्रश्न शामिल होंगे। इस परीक्षा में अमूर्त विचारों और प्रतीक तथा उनके संबंध, अंकगणितीय संगणना और अन्य विश्लेषण क्रियाओं के संबंध में अभ्यर्थी की योग्यता की जांच करने के लिए तैयार किए गए प्रश्न भी शामिल किए जाएंगे।

सामान्य जानकारी: इस घटक के प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थी के आसपास के परिवेश की सामान्य जानकारी और समाज में उनके अनुप्रयोग की जांच करना होगा। सामियक घटनाओं और दिन प्रतिदिन के अवलोकन के ऐसे मामलों के ज्ञान एवं उनके वैज्ञानिक पहलू संबंधी अनुभव की जांच करने हेतु भी प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसकी जानकारी की अपेक्षा किसी शिक्षित व्यक्ति से की जा सकती है। इस परीक्षा में भारतीय संविधान व वैज्ञानिक अनुसंधान इत्यादि सहित और भारत व उसके पड़ोसी देशों के संबंध में विशेषकर खेल, इतिहास, संस्कृति, भूगोल, आर्थिक परिदृश्य, सामान्य राज्य-व्यवस्था से संबंधित प्रश्न भी शामिल होंगे। प्रश्न इस प्रकार के होंगे कि उनके लिए किसी विषय के विशेष अध्ययन की आवश्यकता नहीं है।

परिमाणात्मक अभिरूची: इस प्रश्नपत्र में संख्या प्रणाली से संबंधित समस्याओं, पूर्णांकों का अभिकलन, दशमलव और भिन्न तथा संख्याओं के बीच परस्पर संबंध, मूलभूत अंकगणितीय संक्रियाएं, प्रतिशतता, अनुपात और समानुपात, औसत, ब्याज, लाभ-हानि, छूट, सारणियों और ग्राफ का प्रयोग, क्षेत्रमिति, समय और दूरी, अनुपात और समय, समय और कार्य, आदि से संबंधित प्रश्न शामिल किए जाएंगे।

अंग्रेजी भाषा: इसमें अभ्यर्थियों की अंग्रेजी भाषा के पारंभिक ज्ञान, शब्दावली, व्याकरण, वाक्य संरचना, पर्यायवाची, विलोम और इनके सही प्रयोग की समझ और उसकी लेखन योग्यता की जांच की जाएगी।

### (ख) 10+2(उच्चतर माध्यमिक) स्तर:

सामान्य बुद्धिमता: इसमें शाब्दिक और गैर शाब्दिक दोनों प्रकार के प्रश्न शामिल होंगे। इस परीक्षा में वर्णबोध सादृश्य, प्रतीकात्मक संक्रियाएं, प्रतीकात्मक/अंक सादृश्य, प्रवृत्तियां, अंकीय/आकृतिक सादृश्य, स्पेस आरिएन्टेशन, अर्थगत वर्गीकरण, वेन आरेख, प्रतीकात्मक/अंक वर्गीकरण, अनुमान लगाना, अंकीय/ आकृतिक वर्गीकरण, पंचहोल/पैटर्न फोल्डिंग एवं अनफोडिंग, अर्थगत श्रृखंला, आकृतिक प्रतिरूप-फोल्डिंग एवं कंप्लीशन, अंक श्रृखंला, अन्तः स्थापित आंकड़ें, अंकीय/आकृतिक श्रृखंला, आलोचनात्मक सोच, समस्या समाधान, भावनात्मक बुद्धिमत्ता, शब्द निर्माण, सामाजिक बुद्धिमत्ता, कोडबद्ध करना एवं विकोडन करना, अन्य उप विषय यदि कोई हों, संख्यात्मक संक्रियाएं।

सामान्य जानकारी: अभ्यर्थी के आसपास के परिवेश की सामान्य जानकारी और समाज में उनके अनुप्रयोग की जांच करने के लिए प्रश्न तैयार किए जाएंगे। सामियक घटनाओं और दिन प्रतिदिन के अवलोकन के ऐसे मामलों के ज्ञान एवं उनके वैज्ञानिक पहलू संबंधी अनुभव की जांच करने हेतु भी प्रश्नपत्र पूछे जाएंगे, जिसकी जानकारी की अपेक्षा किसी शिक्षित व्यक्ति से की जा सकती है। इस परीक्षा में भारत और उसके पड़ोसी देशों के संबंध में विशेषकर इतिहास, संस्कृति, भूगोल, आर्थिक परिदृश्य, सामान्य राज्य-व्यवस्था और वैज्ञानिक अनुसंधान से संबंधित प्रश्न भी शामिल होंगे।

#### संख्यात्मक अभिरुचि:

अंकगणितः संख्या प्रणाली : पूर्णांक का अभिकलन, दशमलव एवं भिन्न, संख्याओं के बीच परस्पर संबंध, मूलभूत अंकगणितीय संक्रियाएं, प्रतिशतता, अनुपात तथा समानुपात, वर्गमूल, औसत, ब्याज(साधारण एवं चक्रवृद्धि), लाभ एवं हानि, बट्टा, साझेदारी व्यवसाय, मिश्रण एवं बंधन की त्रिया, समय एवं दूरी, समय एवं कार्य। बीजगणितः स्कूली बीजगणित की आधारभूत बीजगणित संक्रियाएं और प्रारंभिक करणी (सरल निर्मेय) और रेखीय समीकरण के रेखाचित्र । **रेखागणित** : प्रारंभिक रेखागणितीय ऑकडे एवं वास्तविकताओं से परिचय : त्रिकोण एवं इसके विभिन्न प्रकार के केंद्र, त्रिकोणों की समशेषता एवं समरूपता, वृत्त एवं इसकी जीवा, स्पर्शरेखा, एक वृत्त जीवाओं द्वारा अंतरित कोण, दो या अधिक वृत्तों की सामान्य स्पर्शरेखा क्षेत्रमितिः त्रिकोण, चतुर्भुज,नियत बहुभुज,वृत्त, सम प्रिज्म ,सम वृत्तीय शंकु, सम वृत्तीय बेलन, गोला, अर्धगोला, आयातकार समान्तरषट्फलक, त्रिकोण अथवा वर्ग आधार वाला नियत सम पिरामिड । त्रिकोणमिति: त्रिकोणमिति ,त्रिकोणमिति अनुपात, कोटिपूरक कोण, लंबाई व दूरी (केवल सरल निर्मेय) मानक सारूप्यता आदि। सांख्यिकीय चार्ट: तालिका एवं ग्राफ का प्रयोग: आयतचित्र, बारंबारता पॉलिजेन,दण्ड चित्र (बार-डाइग्राम), पाई-चार्ट

अंग्रेजी भाषा : त्रुटि का पता लगाना, खाली स्थान भरना, समानार्थक/भिन्नार्थक शब्द, विपरीतार्थक, वर्तनी/गलत वर्तनी वाले शब्दों का पता लगाना, मुहावरे एवं सूक्तियां, एक शब्द प्रतिस्थापन, वाक्यों में सुधार, क्रियाओं के कर्तृवाच्य/कर्मवाच्य, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कथन में रुपान्तरण, वाक्य के हिस्सों का फेरबदल, पाठ में वाक्यों का फेरबदल, पाठ में छूटे हुए शब्द का पता करना, परिज्ञान पाठ।

### (ग) स्नातक एवं उससे ऊपर के स्तर:

सामान्य बुद्धिमता: इसमें शाब्दिक और गैर-शाब्दिक दोनों प्रकार के प्रश्न शामिल होंगे। इस घटक में सादृश्यों, समानताओं तथा अंतरों, स्थानिक कल्पना, स्थानिक अभिविन्यास, समस्या समाधान, विश्लेषण, निर्णय, निर्णय लेना, दृश्य स्मृति, विभेद, अवलोकन, संबंध अवधारणा, अंकगणितीय तर्क एवं आकृति संबंधी वर्गीकरण, अंकगणितीय संख्या शृखंला, गैर-शाब्दिक शृखंला, कोडिंग एवं डिकोडिंग, विवरण निष्कर्ष, न्यायबद्ध तर्क आदि से संबंधित प्रश्न शामिल होंगे। इसमें विषय हैं:

अर्थगत समानता, प्रतीकात्मक/अंक संबंधी समानता, आंकड़े संबंधी समानता, सीमेंटिक वर्गीकरण, प्रतीकात्मक/अंक संबंधी वर्गीकरण, आंकड़े संबंधी वर्गीकरण, अर्थगत श्रृंखला, अंक श्रृंखलाएं, आंकड़े संबंधी क्रम, समस्या समाधान, शब्द निर्माण, कोडिंग व डिकोडिंग, संख्यात्मक संक्रियाएं, प्रतीकात्मक संक्रिया, उपनित, अन्तराल अभिविन्यास, अन्तराल विज्यूलाइजेशन, वेन आरेख, रेखाचित्र अनुमिति, पंच्ड होल/ पैर्टन-फोल्डिंग व अनफोल्डिंग, आकृति पैर्टर्न-फोल्डिंग एवं पूर्ण करना, सूचीकरण, पता मिलान, तिथि व शहर मिलान, केन्द्र कोड/ अनुक्रमांक का वर्गीकरण, छोटे व बड़े अक्षर/ अंक कोडिंग/डिकोडिंग व वर्गीकरण, अंतः स्थापित आंकड़े, आलोचनात्मक विवेचन, भावनात्मक बुद्धिमत्ता, सामाजिक बुद्धिमत्ता तथा यदि हों, तो अन्य उप विषय।

सामान्य जानकारी: पर्यावरण संबंधी सामान्य जानकारी और समाज में उनके अनुप्रयोग की जांच किए जाने के लिए प्रश्न तैयार किए जाएंगे। सामियक घटनाओं और दिन प्रतिदिन के अवलोकन संबंधी मामलों की जानकारी एवं उनके वैज्ञानिक पहलू संबंधी अनुभव की जांच करने हेतु भी प्रश्नपत्र पूछे जाएंगे, जिसकी जानकारी की अपेक्षा किसी शिक्षित व्यक्ति से की जा सकती है। इस परीक्षण में भारत और उसके पड़ोसी देशों के संबंध में विशेषकर इतिहास, संस्कृति, भूगोल, आर्थिक परिदृश्य, सामान्य नीति, वैज्ञानिक अनुसंधान इत्यादि से संबंधित प्रश्न भी शामिल होंगे।

परिमाणात्मक अभिरूची: इन प्रश्नों को अभ्यर्थी द्वारा संख्याओं के उपयुक्त प्रयोग और संख्या के संबंध में उसके बोध की क्षमता की जांच के लिए तैयार किया जाएगा। इन प्रश्नों के दायरे में पूर्णांक संख्याएं अभिकलन, दशमलव, भिन्नों और संख्याओं के बीच परस्पर संबंध, प्रतिशतता, भाग फल और अनुपात, वर्गमूल, औसत, ब्याज, लाभ एवं हानि, बट्टा, साझेदारी व्यापार, मिश्रण एवं संहसंबधन, समय और दूरी, समय और कार्य, स्कूली बीजगणित एवं प्रारंभिक करणी के बीजगणितीय ज्ञान, रेखीय समीकरणों के ग्राफ, त्रिकोण और उनके विभिन्न प्रकार के केन्द्र, त्रिकोणों की समरुपता और समानता, वृत और उसकी जीवा, स्पर्श रेखाएं, वृत की जीवाओं द्वारा अंतरित कोण, दो या अधिक वृतो की समान स्पर्श रेखाएं, त्रिकोण, चर्तुभुज, समभुज कोणीय बहुभुज, वृत, समप्रिज्म, समगोलाकार शंकु, सम गोलाकार बेलन, गोला, गोलाई, आयताकार समान्तरषटफलक, त्रिकोणीय अथवा वर्गाकार आधार वाला समभुज कोणीय सम पैरामिड, त्रिकोणमितीय अनुपात, हिग्री और रेडियन माप,

मानक सहरुप्यता, अनुपूरक कोण, ऊचांई और दूरी, हिस्टोग्राम, आवृति बहुभुज, बार आरेख और पाई-चार्ट आएंगे ।

अंग्रेजी भाषाः इसमें अभ्यर्थियों की अंग्रेजी भाषा की सही समझ, उसके मूल परिज्ञान और लेखन की योग्यता को जाँचा जाएगा। क,ख, और घ भागों के प्रश्नों का स्तर पद के लिए निर्धारित अनिवार्य योग्यता अर्थात स्नातक की डिग्री के अनुरूप होगा तथा भाग-ग के प्रश्न 10वीं कक्षा स्तर के होंगे।

### 13. परीक्षा में प्रवेशः

- 13.1 उन सभी अभ्यर्थियों को कंप्यूटर आधिरत परीक्षा में बैठने हेतु रोल नंबर दिया जाएगा और प्रवेश-पत्र दिया जाएगा, जो इस विज्ञापन के प्रत्युत्तर में अंतिम तारीख और समय तक अपना पंजीकरण कराते हैं और जिनके आवेदन सुव्यवस्थित पाए पाए जाते हैं और आयोग द्वारा परीक्षा की इस विज्ञपति में दी गई शर्तों के अनुसार अनंतिम या अस्थायी रूप से स्वीकार किए जाते हैं। तदनंतर, अर्हक अभ्यर्थियों को परीक्षा के अगले स्तर के लिए प्रवेश पत्र/अनुदेश जारी किए जाएंगे।
- 13.2 आयोग कंप्यूटर आधिरत परीक्षा के समय पात्रता और अन्य पहलुओं के लिए आवेदनों की विस्तृत जांच नहीं करेगा और इसलिए, अभ्यर्थिता केवल अनंतिम रूप से स्वीकार की जाएगी। अभ्यर्थियों को शैक्षिक योग्यता, आयु, शारीरिक और चिकित्सा मानकों आदि की आवश्यकताओं के बारे में पढ़ने और उनके बारे में स्वयं को संतुष्ट करने की सलाह दी जाती है कि वे उक्त पद (पदों) के लिए पात्र हैं। संवीक्षा चरण तथा दस्तावेज़ सत्यापन के समय समर्थनकरी दस्तावेजों की प्रतियां मांगी जाएंगी। दस्तावेजों की जांच के दौरान भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण पर जब दस्तावेजों की संवीक्षा की जाती है, यदि आवेदन में किए गए किसी भी दावे को पुष्ट नहीं पाया जाता है, तो अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी और आयोग का निर्णय अंतिम होगा।
- 13.3 परीक्षा संबंधी प्रवेश पत्र (प्र.प) / प्रवेश प्रमाण पत्र, आयोग के संबंधित क्षेत्रीय/उपक्षेत्रीय कार्यालयों की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया

जाएगा। परीक्षा के किसी भी स्तर के लिए प्रवेश पत्र डाक द्वारा जारी नहीं किए जाएंगे। इसलिए अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा की अद्यतन जानकारी के लिए नियमित रूप से संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय और कर्मचारी चयन आयोग मुख्यालय की वेबसाइट का अवलोकन करते रहें।

13.4 परीक्षा के बारे में सूचनाएं, जिसमें परीक्षा की समय-सारणी और प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए परीक्षा का शहर/केंद्र की जानकारी होगी, परीक्षा की तारीख से लगभग दो सप्ताह पहले आयोग के संबंधित क्षेत्रीय/उपक्षेत्रीय केंद्रों की वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी। यदि किसी अभ्यर्थी को परीक्षा की तारीख से एक सप्ताह पूर्व तक प्रवेश-पत्र प्राप्त नहीं होता है, तो उसे तत्काल आवेदन प्रस्तुत करने के अपने प्रमाण के साथ आयोग के संबंधित क्षेत्रीय/उपक्षेत्रीय कार्यालय से संपर्क करना चाहिए। ऐसा न करने पर वह परीक्षा में बैठने के अपने दावे पर विचार किए जाने से वंचित हो जाएगा।

13.5 अभ्यर्थी को आयोग के साथ कोई भी पत्राचार करते समय अपना पंजीकरण आईडी, पंजीकृत ईमेल आईडी, अपने नाम के साथ-साथ अपना मोबाइल नम्बर, जन्म तिथि और परीक्षा का नाम अवश्य लिखना चाहिए। इन विवरणों के न दिए जाने पर अभ्यर्थी के पत्राचार पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।

13.6 परीक्षा से लगभग एक सप्ताह पहले प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की सुविधा संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों की वेबसाइट पर उपलब्ध होगी। अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र का प्रिंटआउट परीक्षा हॉल में लाना होगा।

13.7 प्रवेश प्रमाण-पत्र के अलावा, कम से कम दो पासपोर्ट आकार के हाल ही की दो रंगीन फोटो, मूल वैध फोटो-आईडी साक्ष्य जिसमें जन्म तिथि अंकित हो, जैसा कि प्रवेश प्रमाण पत्र में दी गई है, लाना अनिवार्य है, जैसे:

13.7.1 आधार कार्ड / ई-आधार का प्रिंटआउट,

13.7.2 मतदाता पहचान-पत्र,

13.7.3 ड्राइविंग लाइसेंस,

13.7.4	पैन कार्ड,
13.7.5	पासपोर्ट,
13.7.6	स्कूल / कॉलेज पहचान-पत्र,
13.7.7	नियोक्ता द्वारा जारी पहचान-पत्र
	(सरकारी/सार्वजनिक उपक्रम/निजी), आदि

13.8 यदि फोटो पहचान पत्र में जन्म तिथि नहीं दी गई है तो अभ्यर्थी को अपनी जन्म-तिथि के साक्ष्य के रूप में एक अतिरिक्त प्रमाण-पत्र अवश्य लाना चाहिए। यदि प्रवेश प्रमाण-पत्र और जन्म-तिथि के प्रमाण के रूप में लाए गए फोटो पहचान-पत्र/ प्रमाण पत्र में उल्लिखित जन्म-तिथि मेल नहीं खाती है तो अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा।

13.9 पैरा 11ङ (i) और 11ङ (ii) के अनुसार शारीरिक दिव्यांग अभ्यर्थी जो प्रलिपिक की सुविधा का उपयोग करेंगे, उन्हें यथा-उल्लिखित मेडिकल सर्टिफिकेट/वचन-पत्र/प्रलिपिक के फोटो पहचान-पत्र की फोटोकॉपी भी साथ में लाना आवश्यक है। उपरोक्त दस्तावेजों के बिना अभ्यर्थियों को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

- 13.10 अभ्यर्थी परीक्षा में उपस्थित होने के दौरान प्रवेश प्रमाणपत्र में उल्लिखित कोई अन्य दस्तावेज भी ले जा सकता है।
- 13.11 धुंधला फोटोग्राफ और / या हस्ताक्षर वाले आवेदन निरस्त कर दिए जाएंगे।

#### 14. दस्तावेजों का सत्यापन

- (i) दस्तावेज़ सत्यापन के लिए अर्हक सभी अभ्यर्थियों को पैरा सं. 14(iii) में किए गए उल्लेख अनुसार मूल दस्तावेजों के साथ दस्तावेज़ सत्यापन के लिए उपस्थित होना होगा।
- (ii) दस्तावेज़ सत्यापन के लिए उपस्थित होने के दौरान अभ्यर्थियों को दो पासपोर्ट आकार की हालिया रंगीन फोटो और एक

मूल फोटो पहचान-पत्र लाना आवश्यक है। फोटो आईडी प्रमाण निम्नलिखित में से कोई हो सकता है:

- (क) आधार कार्ड/ई-आधार का प्रिंटआउट
- (ख) वोटर आईडी कार्ड
- (ग) पैन कार्ड
- (घ) पासपोर्ट
- (ङ) ड्राइविंग लाइसेंस
- (च) सरकारी स्कूल/कॉलेज का पहचान-पत्र
- (छ) नियोक्ता द्वारा जारी पहचान पत्र (सरकारी/सार्वजनिक उपक्रम)
- 15.4 अभ्यर्थियों को मूल दस्तावेजों की प्रतियां प्रस्तुत करनी होंगी जैसे:
  - (क) मैट्रिक/माध्यमिक प्रमाण पत्र
  - (ख) आवेदन कर रहे पद श्रेणी के लिए अपेक्षित शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र
  - (ग) यदि कोई अभ्यर्थी समकक्ष योग्यता के रूप में किसी विशेष योग्यता का दावा कर रहा है, तो दावा की गई समकक्ष शैक्षणिक योग्यता के संबंध में आदेश/पत्र (संख्या और दिनांक के साथ) जिसमें उस प्राधिकरण का उल्लेख हो, जिसके तहत अनिवार्य योग्यता में समकक्ष खण्ड के संबंध में उसे ऐसा माना गया हो।
  - (घ) यदि पद के लिए अपेक्षित है तो अनुभव प्रमाणपत्र।
  - (ङ) यदि आरक्षित श्रेणियों के अंतर्गत आता है, तो जाति/श्रेणी प्रमाण-पत्र ।
  - (च) यदि आवश्यक हो, तो आवश्यक प्रारूप में दिव्यांगता प्रमाण पत्र ।
  - (छ) भूतपूर्व सैनिक (ईएसएम) के लिए:
    - 1 यदि लागू हो, तो अनुबंध- IX के अनुसार सेवारत रक्षा कार्मिक प्रमाण- पत्र।
    - 2 अनुबंध- IX (क) अनुसार वचनपत्र
    - 3 यदि सशस्त्र बलों से सेवा मुक्त किया गया हो, तो सेवामुक्ति संबंधी प्रमाणपत्र
  - (ज) यदि आयु में कोई छूट चाहते हैं, तो संगत प्रमाण-पत्र

- (झ) सरकार/सरकारी उपक्रमों में पहले से नियोजित मामले में अनापत्ति प्रमाणपत्र
- (ञ) ऐसा अभ्यर्थी जो विवाह या पुनर्विवाह या तलाक आदि होने पर मैट्रिकुलेशन के बाद नाम बदलने का दावा करता है, उसे निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे:
  - 1. महिलाओं के विवाह के मामले में: पित के पासपोर्ट की फोटो कॉपी जिसमें पित का नाम दर्शाया गया हो या विवाह रजिस्ट्रार द्वारा जारी विवाह-प्रमाणपत्र की सत्यापित प्रति या पित और पित्नी के संयुक्त फोटो सिहत पित व पित्नी द्वारा शपथ आयुक्त के समक्ष विधिवत शपथ ग्रहण संबंधी शपथ पत्र;
  - 2. महिलाओं के पुनर्विवाह के मामले में: यथा-स्थिति, पहले पित से तलाक संबंधी विलेख/ मृत्यु प्रमाण पत्र; और वर्तमान पित के पासपोर्ट की फोटोकॉपी जिसमें पित का नाम दर्शाया गया हो या विवाह रिजस्ट्रार द्वारा जारी विवाह-प्रमाणपत्र की सत्यापित प्रति या पित और पत्नी के संयुक्त फोटो सिहत पित व पत्नी द्वारा शपथ आयुक्त के समक्ष विधिवत शपथ ग्रहण संबंधी शपथ पत्र;
  - महिलाओं के तलाक के मामले में: तलाक की डिक्री की प्रमाणित प्रति और शपथ आयुक्त के समक्ष विधिवत शपथ ग्रहण संबंधी एक पक्षीय अभिलेख/शपथपत्र;
  - 4. पुरुष और महिला दोनों के लिए नाम बदलने की अन्य परिस्थितियों में: शपथ आयुक्त के समक्ष विधिवत शपथ ग्रहण संबंधी एक पक्षीय अभिलेख/शपथपत्र और मूल रूप से दो प्रमुख दैनिक समाचारपत्रों की पेपर किंटिंग (एक दैनिक समाचारपत्र आवेदक के स्थायी और वर्तमान पते या आसपास के क्षेत्र का होना चाहिए) और राजपत्र अधिसूचना।

(ट) दस्तावेज सत्यापन के लिए प्रवेश-पत्र में निर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज।

#### 15. चयन प्रक्रियाएं:-

- क) चयन पदों के लिए भर्ती कंप्यूटर आधारित प्रणाली में लिखित परीक्षा के जरिए की जाएगी, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रकार के बहु विकल्पीय प्रश्न होंगे।
- ख) उन सभी अभ्यर्थियों को कंप्यूटर आधरित परीक्षा में बैठने हेतु रोल नंबर दिया जाएगा और प्रवेश-पत्र दिया जाएगा, जो इस विज्ञापन के प्रत्युत्तर में अंतिम तारीख और समय तक अपना पंजीकरण कराते हैं और जिनके आवेदन सुव्यवस्थित पाए पाए जाते हैं और आयोग द्वारा परीक्षा की इस विज्ञपति में दी गई शर्तों के अनुसार अनंतिम या अस्थायी रूप से स्वीकार किए जाते हैं।
- ग) जिन आवेदनों में फोटोग्राफ धुंधले होंगे/ नहीं होंगे, हस्ताक्षर धुंधले होंगे/नहीं होंगे, एक ही पद के लिए दोहरे आवेदन/शुल्क प्रापित नहीं/अपूर्ण आवेदन/इत्यादि होंगे, उन्हें निरस्त कर दिया जाएगा।
- घ) परीक्षा के सभी चरणों के प्रवेश पत्र आयोग के संबंधित क्षेत्रीय/उप-क्षेत्रीय कार्यालय की वेबसाइटों पर ऑनलाइन जारी किए जाएंगे। इसलिए, अभ्यर्थियों को आयोग मुख्यालय (अर्थात https://ssc.nic.in) और आयोग के उन संबंधित क्षेत्रीय/उप-क्षेत्रीय कार्यालय की वेबसाइटों को नियमित रूप से देखने की सलाह दी जाती है, जिनके अधिकार क्षेत्र में अभ्यर्थियों द्वारा चुने गए परीक्षा केंद्र स्थित हैं।
- ङ) जो अभ्यर्थी एक ही क्षेत्र में एक से अधिक पदों के लिए आवेदन करते हैं /एक ही क्षेत्र या विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न स्तरों के लिए आवेदन करते हैं /एक ही क्षेत्र या विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न स्तरों (मैट्रिकुलेशन, उच्चतर माध्यमिक, स्नातक और स्नातकोत्तर) के पदों के लिए आवेदन करते हैं, वे 'समान अभ्यर्थी" हैं । ऐसे समान अभ्यर्थियों को सभी क्षेत्रीय/उप क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा सभी पदों के लिए प्रवेश प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा।
- च) समान अभ्यर्थियों को पद के एक स्तर के लिए केवल एक ही बार परीक्षा में बैठना होगा अन्यथा उनकी अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जाएगी। यदि किसी अभ्यर्थी ने दो स्तर अर्थात मैट्रिकुलेशन और उच्चतर माध्यमिक के पदों के लिए आवेदन किया है, तो उसे

प्रत्येक स्तर की परीक्षा के लिए एक बार परीक्षा देनी होगी(एक बार मैट्रिक स्तर के पद – श्रेणी के लिए और एक बार उच्चतर माध्यमिक स्तर पद- श्रेणी के लिए)। ऐसे अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों को सभी क्षेत्रीय/उप क्षेत्रीय कार्यालयों में उस स्तर के पद(पदों) के लिए मेरिट-सूची तैयार करने के लिए प्रयुक्त किया जाएगा।

छ) निम्नलिखित रूप में कट-ऑफ अंकों से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों के नाम पर भर्ती के अगले चरण में विचार नहीं किया जाएगा।

> अ.ना. - 35 % अ.पि.व/ भूपूसै -30% अन्य श्रेणियां- 25 %

- ज). पदों की किसी विशेष श्रेणी की रिक्तियों की संख्या पर निर्भर करते हुए कंप्यूटर आधारित परीक्षा में अभ्यर्थियों के अंक और योग्यता के आधार पर अभ्यर्थियों को निम्नलिखित अनुपात में संवीक्षा के अगले चरण के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा।
  - (क) पदों की किसी भी श्रेणी के लिए 5 तक की रिक्तियों के लिए 1:20 के अनुपदत में ।
  - (ख) पदों की किसी भी श्रेणी के लिए 5 से अधिक, न्यूनतम 100 के अध्यधीन रिक्तियों के लिए 1:10 के अनुपात में।
- झ) जिन अभ्यर्थियों को संवीक्षा के अगले चरण के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है, उन्हें संबंधित क्षेत्रीय / उप-क्षेत्रीय कार्यालयों को जिससे कि वह पद- श्रेणी संबंधित है, अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र के प्रिंट आउट सहित हार्ड कॉपी में शैक्षिक योग्यता (ईक्यू), अनुभव, श्रेणी, अयु, आयु में छूट आदि (यथा प्रयज्य) सभी सहायक दस्तावेजों की अनुप्रमाणित प्रतियों को जमा करना होगा।
- ज) पदों के किसी श्रेणी के लिए कौशल परीक्षा जहाँ कहीं भी निर्धारित की गयी हो, उन अभ्यर्थियों के लिए आयोजित की जाएगी, जिनके दस्तावेजों की हार्ड कापी जांच के स्तर पर आयोग के क्षेत्रीय/ उप क्षेत्रीय कार्यालयों में प्राप्त की गयी हो और वह सुव्यवस्थित हो।
- द) क्षेत्रीय कार्यालय पात्र अभ्यर्थियों की उपलब्धता के अध्यधीन, पद की श्रेणी विशेष के लिए दस्तावेज सत्यापन(डीवी) हेतु अपेक्षित संख्या (1:10 के अनुपात में) में अभ्यर्थियों को बुलाएगा ।

- ठ) जिन अभ्यर्थियों ने इस भर्ती चरण में एक ही स्तर(उदाहरणार्थ मैट्रिकुलेशन) एक से अधिक पदों के लिए आवेदन किया है, उनके लिए दस्तावेज सत्यापन एक ही बार किया जाएगा । ऐसे अभ्यर्थियों के लिए दस्तावेज सत्यापन उस क्षेत्रीय/उप क्षेत्रीय कार्यालय में किया जाएगा जिसके क्षेत्राधिकार में वह परीक्षा केन्द्र आता है जहां से अभ्यर्थी ने कंप्यूटर आधारित परीक्षा दी है ।
- ड) अभ्यर्थियों द्वारा उनके आवेदन में दी गयी सूचना का सत्यापन आयोग द्वारा कंप्यूटर आधारित परीक्षा के पश्चात उनके मूल दस्तावेजों के साथ किया जाएगा। दस्तावेजों के सत्यापन के दौरान, यदि यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी द्वारा आवेदन-प्रपत्र में दी गयी सूचना गलत है, तो उसकी अभ्यर्थिता तत्काल निरस्त कर दी जाएगी। अभ्यर्थिता के ऐसे निरस्तीकरण के संबंध में किसी अपील या अभ्यावेदन पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी सुनिश्चित करें कि उन्होंने आवेदन प्रपत्र में सही सूचना दी है।
- ढ) पद की किसी विशेष श्रेणी के लिए अंतिम परिणामों की घोषणा के समय संबंधित क्षेत्रीय/उप क्षेत्रीय कार्यालय की वेबसाइट पर ही अभ्यर्थियों के अंक प्रदर्शित किए जाएंगे।
- ण) अजा., अजजा, अपिव , भूपूसै ,आर्थिक रूप से कमजोर तथा दिव्यांग वर्ग श्रेणी के उन अभ्यर्थियों, जिनका शिथिल मानकों में छूट के बिना अपनी योग्यता से चयन होता है उन्हें रिक्तियों की आरक्षण कोटे में समायोजित नहीं किया जाएगा। ऐसे अभ्यर्थियों को समग्र योग्यता सूची में उनकी स्थिति के अनुसार सामान्य/अनारिक्षत रिक्तियों में समायोजित किया जाएगा, जो भी उनके लिए लाभप्रद हो । आरिक्षत रिक्तिया पात्र अजा., अजजा, अपिव , भूपूसै ,आर्थिक रूप से कमजोर तथा दिव्यांग अभ्यर्थियों में से अलग से भरी जाएगी ।
- त) अजा, अजजा, अपिव,भूतपूर्व सैनिक, आपिव और शारीरिक दिव्यांग श्रेणी के अभ्यर्थी, जो आयु सीमा, अनुभव या योग्यता लिखित परीक्षा में अनुमत्य अवसरों की संख्या, विचारार्थ विस्तृत क्षेत्र आदि जैसे मानकों में छूट के आधार पर अर्हता प्राप्त करता है, चाहे योग्यता सूची में उसका स्थान कुछ भी हो, वह आरक्षित रिक्तियों में शामिल किया जाएगा न कि सामान्य रिक्तियों में । ऐसे अभ्यर्थियों को आरक्षित कोटे में कमी को पूरा करने के लिए, योग्यताक्रम में उनके

रैंक पर ध्यान दिए बिना उनकी आरक्षित रिक्तियों की संख्या की सीमा तक मानकों में छूट देकर नियुक्ति हेतु अनुसंशित किया जा सकता है। जहां तक भूपूसै के मामलों का संबंध है, आरक्षित या अनारिक्षत पदों के लिए भूपूसै को सैन्य सेवा की अविध के बराबर आयु में कटौती अनुमत्य है तथा इस छूट को आयु के संदर्भ में मानकों में छूट नहीं कहा जाएगा। इसी प्रकार दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए ऊपरी आयु सीमा 10 वर्ष की छूट को मानकों में छूट नहीं माना जाएगा।

- थ) दिव्यांग व्यक्ति जो अपनी योग्यता के आधार पर चुना गया है, अनारक्षित रिक्ति पर नियुक्त किया जा सकता है, बशर्ते कि वह पद संगत श्रेणी के दिव्यांग व्यक्तियों के लिए उपयुक्त हो।
- द) सरकार यथावश्यक जांच के पश्चात जब तक इस बात से संतुष्ट न हो जाए कि अभ्यर्थी
- ध) सेवा/पद पर नियुक्ति के लिए हर प्रकार से उपयुक्त है, तब तक परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के आधार पर अभ्यर्थी को नियुक्ति का अधिकार नहीं मिल जाता है।
- न) परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे इस परीक्षा में प्रवेश के लिए निर्धारित पात्रता की सभी शर्ते पूरी करते हैं। परीक्षा के सभी चरणों में उनका प्रवेश, पात्रता की निर्धारित शर्ते पूरी करने के अध्यधीन, पूर्णतया अनन्तिम होगा। लिखित परीक्षा से पहले अथवा बाद में जाँच करने पर यदि किसी भी समय यह पाया जाता है कि वे पात्रता की किसी शर्त को पूरा नहीं करते हैं तो आयोग द्वारा परीक्षा के लिए उनकी अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जाएगी।
- प) नियुक्ति के लिए चयनित अभ्यर्थियों को भारतवर्ष में कहीं भी सेवा करनी पड़ सकती है अर्थात ये सभी पद अखिल भारतीय सेवा दायित्व (अ.भा.से.दा.) के हैं।

फ) अंतिम रूप से चयन किए जाने पर अभ्यर्थियों को संबंधित प्रयोक्ता मंत्रालय/विभाग/कार्यालय द्वारा एक राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश/क्षेत्र आवंटित किया जा सकता है। ऐसे अभ्यर्थियों को संबंधित प्रयोक्ता मंत्रालय/ विभाग/कार्यालय द्वारा आवंटित पदों पर अभ्यर्थियों के स्थायीकरण (Confirmation) के लिए आवंटित राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश/क्षेत्र की स्थानीय भाषा में दक्षता हासिल करने की आवश्यकता हो सकती है।

### 16. बराबरी (टाई) मामलों का निपटान

कम्प्यूटर आधारित परीक्षा में अभ्यर्थियों के सामान्यकृत अंक समान होने की स्थिति में, निम्नलिखित मानदंडों को दिए गए अनुक्रम में क्रियानवित करके, जब तक कि बराबरी(टाई) का मामला हल न हो जाए, बराबरी के मामलों का निपटान किया जाएगा:

- i) कंप्यूटर आधारित परीक्षा में कुल अंक
- ii) कंप्यूटर आधारित परीक्षा के भाग-क में अंक
- iii) कंप्यूटर आधारित परीक्षा के भाग-ख में अंक
- iv) जन्म तिथि के आधार पर अर्थात् आधिक आयु वाले अभ्यर्थी को ऊपर रखा जाएगा।
- v) नाम का वर्णानुक्रम(प्रथम नाम पहले )।

### 17. आवेदन पत्र / अभ्यर्थिता को निरस्त/रद्द करने के कारण :

निम्नलिखित सभी या किसी भी स्थिति में नियुक्ति प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर आवेदकों के आवेदन-पत्र/अभ्यर्थिता सरसरी-तौर पर निरस्त/रद्द की जा सकती है :-

- i. आवेदन पत्र अपूर्ण होने की स्थिति में,
- ii. हस्ताक्षरों में किसी भी प्रकार की भिन्नता होने पर,(मुद्रित आवेदन-प्रपत्र और अन्य दस्तावेजों में किए गए हस्ताक्षर(पूर्ण,अल्प नहीं) अनिवार्य रूप से एक जैसे होने चाहिए),
- iii. आवेदन-पत्र में साफ फोटोग्राफ और स्पष्ट हस्ताक्षर न होने की स्थिति में,
  - iv. अनुदेशों के अनुसार परीक्षा शुल्क का भुगतान न करने की स्थिति में , यदि कोई छूट न प्रदान की गई हो, तो
  - v. अनुदेशों के अनुसार शुल्त का भुगतान न करने पर

vi. कम/अधिक आयु वाले अभ्यर्थी,

vii. कंप्यूटर आधारित परीक्षा के उपरांत आयोग द्वारा मांगे जाने पर शैक्षिक योग्यताएं, अनुभव, प्राप्त अंकों का प्रतिशत, आयु प्रमाणपत्र, श्रेणी प्रमाणपत्र [अजा/ अजजा/अपिव/शा.दि.(पीडब्ल्यूडी)/भूपूसै/सीजीसीई] के बारे में अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन-पत्र में दी गई सूचना के समर्थन में मुद्रित आवेदन प्रपत्रों सहित सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए सभी संगत प्रमाणपत्र/दस्तावेजों की स्वं-सत्यापित सुपाठ्य प्रतियों को प्रस्तुत न करने पर,

viii. आवेदन-पत्र की प्राप्ति की 01.08.219 को अपेक्षित शैक्षिक योग्यता/अनुभव/आयु आदि न होने की स्थिति में,

ix. विषय तथ्यों के बारे में गलत सूचना या मिथ्या विवरण देना या छिपाना

x. संगत दस्तावेजों की स्वं-सत्यापित प्रतियों सहित मुद्रित आवेदन प्रपत्र प्राप्त न होना/विलम्ब से प्राप्त होना

xi. परीक्षा परिसर हॉल में निषेधात्मक साधनों को ले जाना,

xii. दस्तावेजों के सत्यापन के दौरान मूल प्रमाण पत्रों को प्रस्तुत न करना

xiii. परीक्षा की विज्ञपति के पैरा-21 में दिए गए कदाचारों में किसी भी कदाचार में लिप्त पाए जाने पर ।

xiv. अनिवार्य योग्यता(अर्थात मैट्रिकूलंशन, उच्चतर माध्यमिक और स्नातक एवं ऊपर के स्तर) के एक ही स्तर के लिए अभ्यर्थियों द्वारा कंप्यूटर आधारित परीक्षा में दो बार बैठना ।

xv. परीक्षा भवन में नशे की हालत में अभ्यर्थियों के पाए जाने पर।

xvi. कोई अन्य अनियमितता।

18. रोजगार के अवसरों में बेरोजगार अभ्यर्थियों की पहुँच बढ़ाने के लिए कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 21.06.2016 के का.ज्ञा. 39020/1/2016 —स्था. (ख) के तहत जारी निर्देशों के साथ पठित दिनांक 19.07.2017 के उत्तरवर्ती का.ज्ञा. के अनुसार यह निर्णय लिया गया है कि अंतिम परिणाम की घोषणा के पश्चात भर्ती परीक्षाओं में अभ्यर्थियों के अंकों तथा रैंकिंग को नेशनल करियर सर्विस(एन.सी.एस.) श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के पोर्टल पर प्रदर्शित किया जाएगा । तदनुसार यह निर्णय लिया गया कि अंतिम परिणाम की घोषणा के पश्चात अंतिम

परीक्षाओं में अभ्यर्थियों के अनुक्रमांक -अंकों, रैंकिंग के अलावा अभ्यर्थी का नाम, अभिवावक/ पित का नाम, शैक्षिक योग्यता, जन्म तिथि, श्रेणी, लिंग (पुरूष/ मिहला), अर्हक परीक्षा के कुल अंक, ई-मेल पता सिहत संपूर्ण पता उपरोक्त पोर्टल अर्थात एन सी एस पर प्रदर्शित किया जाएगा। तथापि, अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय अपनी सूचना को सार्वजनिक रूप से प्रकट न करने का विकल्प रहेगा।

#### 19. जिस व्यक्ति नेः

- क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह का अनुबंध किया है जिसका/जिसकी पति/पत्नी जीवित है, या
- ख) जिसने पित/पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह या विवाह करने का अनुबंध किया है, तो उसे सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं माना जाएगा, बशर्ते कि केंद्र सरकार इस बात से संतुष्ट हो जाए कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति तथा विवाह के दूसरे पक्ष के लिए लागू वैयक्तिक कानून के अनुसार स्वीकार्य है और ऐसा करने के अन्य कारण भी हैं, तो वह किसी भी व्यक्ति को इस नियम से छूट दे सकती है।

## 20. अभ्यर्थी का अच्छा मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य

अभ्यर्थी का मानसिक एवं शरीरिक स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए तथा उसे ऐसे किसी भी शारीरिक दोष से मुक्त होना चाहिए जिससे सेवा के अधिकारी के रूप में उसके कर्तव्यों के कुशलतापूर्वक निष्पादन में बाधा पहुंचने की संभावना हो। जो अभ्यर्थी सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित किए गए चिकित्सा जांच में इन अपेक्षाओं को पूरा नहीं करेंगे उनकी नियुक्ति नहीं की जाएगी। केवल नियुक्ति के लिए विचार किए जाने वाले अभ्यर्थियों की ही चिकित्सा जांच की जाएगी।

टिप्पणीः दिव्यांग भूतपूर्व रक्षा सेवा कार्मिकों के मामले में रक्षा सेवा डिमोबिलाइजेशन मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदान किया गया स्वस्थता प्रमाण-पत्र नियुक्ति के प्रयोजन हेतु पर्याप्त माना जाएगा।

21. कदाचार के दोषी पाए गए अभ्यर्थियों को दंड देना/उन्हें वारित करना

यदि अभ्यर्थी परीक्षा के दौरान किसी स्तर पर निम्नलिखित में किसी भी कदाचार के दोषी पाए जाते है तो इस परीक्षा के लिए उनकी अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जाएगी और आयोग के परीक्षाओं से उन्हें निम्नलिखित अविध के लिए वारित कर दिया जाएगाः

क्रम संख्या	कदाचार का प्रकार	वारित अवधि
1	परीक्षा भवन से परीक्षा संबंधी सामग्री, जैसे- ओएमआर शीट, रफ शीट, प्रवेश पत्र की आयोग की प्रति, उत्तर शीटें लेकर बाहर जाना या परीक्षा के आयोजन के दौरान इन्हें किसी अनिधकृत व्यक्ति को देना।	2 বর্ष
2	परीक्षा के दौरान बिना सूचित किए परीक्षा स्थल को छोड़ना	2 वर्ष
3	परीक्षा कार्य में लगे व्यक्तियों अर्थात पर्यवेक्षक, निरीक्षक, सुरक्षा गार्ड अथवा आयोग के किसी प्रतिनिधि आदि के साथ दुर्व्यवहार करना, उन्हें भयभीत करना या डराना-धमकाना।	3 वर्ष
4	परीक्षा के आयोजन में बाधा पहुंचाना/ अन्य अभ्यर्थियों को परीक्षा न देने के लिए उकसाना	3 वर्ष
5	गलत अथवा झूठे वक्तव्य देना, महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाना,जाली दस्तावेज प्रस्तुत करना।	3 वर्ष
6	अपनी अभ्यर्थिता के संबंध में किसी अन्य अनियमित अथवा अनुचित उपायों का सहारा लेना।	3 वर्ष
7	'स्विच ऑन' या 'स्विच ऑफ' मोड में मोबाइल फोन रखना।	3 वर्ष
8	नियमों का उल्लंघन करके एक ही परीक्षा में एक से अधिक बार बैठना।	3 वर्ष
9	कोई अभ्यर्थी जो उसी परीक्षा में परीक्षा संबंधी मामलों को देख रहा हो।	3 वर्ष
10	परीक्षा से संबंधित अवसंरचना/उपकरणों को नुकसान पहुंचाना।	5 वर्ष
11	जाली प्रवेश-पत्र, पहचान-पत्र से परीक्षा देना।	5 वर्ष
12	परीक्षा के दौरान आग्नेय शस्त्रों /हथियारों को रखना।	5 वर्ष
13	परीक्षा कार्य में लगे व्यक्तियों अर्थात पर्यवेक्षक, निरीक्षक, सुरक्षा गार्ड अथवा आयोग के किसी प्रतिनिधि आदि पर हमला करना, उन पर बल प्रयोग करना, किसी भी तरीके से	7 वर्ष

		T
	उन्हें शारीरिक हानि पहुंचाना।	
14	आग्नेय शस्त्रों/हथियारों से परीक्षा कार्य में लगे) व्यक्तियों को	७ वर्ष
	डराना-धमकाना।	
15	परीक्षा कक्ष में अनुचित साधनों का प्रयोग करना, जैसे- कागज या शारीरिक अंगों आदि पर लिखित सामग्री जैसे अनिधकृत	7 वर्ष
	या शासारक जगा जादि पर लिखत सामग्रा जस जनावकृत स्रोतों नकल करना।	
16	परीक्षा कक्ष में ब्लूटूथ उपकरण, स्पाई कैमरा और अन्य	7 वर्ष
	इलेक्ट्रॉनिक गैजेट अपने पास रखना	
17	छद्मवेषन/किसी अन्य व्यक्ति से छद्म रूप में कार्यसाधन	७ वर्ष
	कराना।	
18	स्नेपशाट लेना, प्रश्नपत्रों या परीक्षा सामग्री, लैब आदि का	7 वर्ष
	वीडियो बनाना।	
19	रिमोट डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर/एप/लैन/वैन इत्यादि के माध्यम	7 वर्ष
	से परीक्षा टर्मिनलों को साझा करना।	
20	परीक्षा से पहले, उसके दौरान या उसके बाद किसी भी समय	7 वर्ष
	परीक्षा सर्वरों, डाटा या परीक्षा प्रणाली को हैक करने या जोड-	
	तोड़ करने की कोशिश करना।	

#### 22. पक्षप्रचारः

किसी भी रूप में पक्ष प्रचार करने पर अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी।

#### 23. आयोग का निर्णय अंतिम:

पात्रता, आवेदनों को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने, मिथ्या जानकारी के लिए शास्ति, चयन के तरीके, परीक्षा(ओं) के आयोजन, परीक्षा केन्द्रों के आबंटन तथा चयन संबंधी सभी मामलों में आयोग का निर्णय अंतिम होगा तथा अभ्यर्थियों पर बाध्यकारी होगा एवं इस संबंध में कोई पूछताछ/पत्राचार स्वीकार्य नहीं होगा।

#### 24. न्यायालय/न्यायाधिकरण का क्षेत्राधिकार

इस भर्ती से संबंधित कोई भी विवाद उस न्यायालय/न्यायाधिकरण के अधीन होगा जिसके न्याय क्षेत्र में कर्मचारी चयन आयोग का वह संबंधित क्षेत्रीय/उप-क्षेत्रीय कार्यालय स्थित हैं, जहाँ से अभ्यर्थी ने कंप्यूटर आधारित परीक्षा दी है।

## 25. अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण अनुदेश

- (क) अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन करने से पहले परीक्षा की विज्ञप्ति में दिए गए अनुदेशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें।
- (ख) अभ्यर्थी को अपना नाम और जन्म तिथि ठीक वैसी ही लिखनी चाहिए जैसा कि मैट्रकुलेशन/सेकैंडरी प्रमाण पत्र में दर्ज है। यदि दस्तावेजों के सत्यापन के समय नाम या जन्म तिथि में विभिन्नता पायी जाती है, तो उसकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी।
- (ग) अभ्यर्थियों को उनके हित के लिए सलाह दी जाती है कि वे ऑनलाइन आवेदन अंतिम तारीख से काफी पहले जमा कर दें और अंतिम दिनों के दौरान वेबसाइट पर अत्यंत व्यस्तता के कारण कर्मचारी चयन आयोग की वेसाइट की विसंबंधनता/लॉगइन करने में असमर्थता या विफलता की संभावना से बचने के लिए अंतिम तारीख तक प्रतीक्षा न करें।
- (घ) कर्मचारी चयन आयोग लिखित परीक्षा के समय पात्रता एवं अन्य पहलुओं के लिए आवेदनों की विस्तृत संवीक्षा नहीं करेगा, इसलिए अभ्यर्थिता केवल अनंतिम रूप से स्वीकार की जाएगी। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन करने से पूर्व शैक्षिक योग्यता, आयु, शारीरिक व चिकित्सीय मापदण्ड इत्यादि की अपेक्षाओं को पढ़ लें और अपनी संतुष्टि कर लें कि वे पद (पदों) के लिए पात्र हैं। सहायक दस्तावेजों की प्रतियां दस्तावेज सत्यापन के समय मांगी जाएंगी। संवीक्षा करने पर यदि यह पाया जाता है कि कोई सूचना अथवा दावा ठीक नहीं है, तो उनकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी तथा इस संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

अजा/अजजा/अपिव/ईडब्लूएस/शादि. के लिए उपलब्ध आरक्षण का लाभ (ड.) प्राप्त करने के इच्छुक अभ्यर्थी सुनिश्चित कर लें कि वे इस विज्ञप्ति में निर्धारित पात्रता के अनुसार ऐसे आरक्षण के हकदार हैं। उनके पास अपने दावे के समर्थन में निर्धारित प्रपत्र में अपेक्षित प्रमाणपत्र भी होने चाहिए। केवल बेंचमार्क शारीरिक दिव्यांगता वाले अभ्यर्थियों को ही दिव्यांग (च) व्यक्ति (शा.दि.) माना जाएगा और वे ही दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण के हकदार होंगे। केंद्रीय सरकार के सिविल कर्मचारी, जो आयु में छूट का दावा करते हैं, उन्हें दस्तावेज सत्यापन के समय सतत सेवा की अवधि, जोकि आवेदन (छ) प्राप्त करने की अंतिम तारीख से तुरंत पहले की अवधि के दौरान तीन वर्ष से कम न हो, के संबंध में अपने कार्यालय से निर्धारित प्रपत्र में प्रमाणपत्र देना चाहिए। यदि उनका चयन किया जाता है तो नियुक्ति के समय तक उन्हें केंद्रीय सरकार के कर्मचारी बने रहना चाहिए। इस परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों द्वारा पद की एक श्रेणी के लिए केवल एक (ज) ही आवेदन, ऑनलाइन जमा कराया जाए। इसलिए अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन पत्र भरते समय सावधानी बरतें। अभ्यर्थी के एक से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होने के मामले में आयोग द्वारा नवीनतम आवेदन पत्र पर विचार किया जाएगा। यदि एक अभ्यर्थी एक से अधिक आवेदन जमा करता है तथा परीक्षा में एक से अधिक बार बैठता है (किसी भी स्तर पर) तो उसकी अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जाएगी तथा उसे आयोग की परीक्षाओं से नियमानुसार वारित कर दिया जाएगा। अभ्यर्थियों को मैट्किलेशन प्रमाणपत्र में उल्लेख के अनुसार ही पिता का (耔) नाम और माता का नाम लिखना चाहिए अन्यथा दस्तावेज सत्यापन के समय अथवा आयोग के ध्यान में आने पर उनकी अभ्यर्थिता सरसरी तौर पर रद्द कर दी जाएगी। अपाठ्य /धुंधलें फोटोग्राफ/हस्ताक्षर वाले आवेदनों को सरसरी तौर पर (ञ) निरस्त कर दिया जाएगा। एक बार जमा किए गए आवेदन पत्र के किसी भी विवरण में परिवर्तन (ट) /सुधार के अनुरोध को किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा।

- (ठ) अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन में सही और सक्रिय ई-मेल पता तथा मोबाइल संख्या भरने की सलाह दी जाती है क्योंकि आयोग अभ्यर्थियों से ई-मेल/एस.एम.एस .के माध्यम से पत्राचार कर सकता है।
- (ड) अभ्यर्थियों को परीक्षा केन्द्र में दो पासपोर्ट आकार के फोटो और अपनी हाल ही के फोटो लगा कम से कम एक साक्ष्य, जैसे- आधार कार्ड/ई-आधार का प्रिंट आउट, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता कार्ड, पेन कार्ड, विश्वविद्यालय/कॉलेज/सरकारी कार्यालय या कोई अन्य कार्यालय जहां अभ्यर्थी कार्य कर रहा हो, द्वारा जारी पहचान पत्र मूलरूप में अपने साथ लाना चाहिए, जिसके बिना उन्हें परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी । शारीरिक दिव्यांग अभ्यर्थी जो प्रलिपिक की सुविधा का उपयोग करेंगे, उन्हें पैरा 11 ङ (i) और 11 ङ (ii) में यथा उल्लिखित चिकित्सा प्रमाणपत्र/वचनपत्र/प्रलिपिक के फोटो पहचानपत्र की फोटो कॉपी लाना होगा।
- (ढ) किसी प्रतिष्ठित नाम/फोटो के दुरूपयोग से नकली/जाली आवेदन/पंजीकरण करने के मामले में अभ्यर्थी/ साइबर कैफे को उत्तरदायी समझा जाएगा तथा उनके खिलाफ साइबर/आईटी अधिनियम के अंतर्गत उपयुक्त विधिक कार्रवाई की जाएगी।
- (ण) सभी पद अखिल भारतीय सेवा दायित्व अखिल भारतीय सेवा दायित्व (अ.भा.से.दा.) वाले हैं अर्थात् चयनित होने पर अभ्यर्थी को देश के किसी भी स्थान पर सेवा करने के लिए कहा जा सकता है।
- (त) उपरोक्त परीक्षा के लिए कोई प्रवेश प्रमाण पत्र डाक से नहीं भेजे जाएंगे । अभ्यर्थियों को संबंधित क्षेत्रीय/ उप —क्षेत्रीय कार्यालयों का वेबसाइट सं प्रवेश प्रमाण पत्र डाउनलोड करना होगा ।
- (४) ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र के सफलतापूर्वक प्रस्तुतीकरण के पश्चात, अभ्यर्थियों को आवेदन प्रपत्र का प्रिंट आउट अवश्य लेना चाहिए तथा इसे विधिवत रूप में स्व अनुप्रमाणित अपेक्षित दस्तावेजों के साथ उस समय जमा करें जब कंप्यूटर आधारित परीक्षा के आयोजन के बाद आयोग द्वारा ऐसा करने के लिए कहा जाए।
- (द) यदि कोई अभ्यर्थी परीक्षा के किसी टियर/स्तर में कट-ऑफ अंकों से अधिक अंक प्राप्त करता है और किसी कारण से तदनंतर स्तर/अंतिम चयन में अर्हता प्राप्त नहीं करता है, तो उसे परिणाम घोषित होने के दो

	महीने के भीतर संबंधित क्षेत्रीय/उप क्षेत्रीय कार्यालय में अभ्यावेदन करना चाहिए।
(ध)	यदि किसी अभ्यर्थी का अंतिम रूप से चयन हो जाता है और परिणाम घोषित होने की तारीख से एक वर्ष के भीतर उसे आयोग अथवा संबंधित प्रयोक्ता विभाग से कोई पत्र प्राप्त नहीं होता है, तो उसे तत्काल संबंधित प्रयोक्ता विभाग से संपर्क करना चाहिए।
(ন)	देय शुल्कः 100/- रु. (एक सौ रुपए मात्र) । महिला अभ्यर्थियों और अनुसूचित जाति,अनुसूचित जनजाति से संबंधित अभ्यर्थियों और आरक्षण के हकदार भूतपूर्व सैनिकों तथा शारीरिक दिव्यांग व्यक्तियों को आवेदन शुल्क का भुगतान करने से छूट है।

# परिशिष्ट-।

क्र.	परिशिष्ट सं.	जाति/स	सक्षम प्राधिकारी
, प्र. सं.	الالحاك ١١.		राषान प्रापिकारा
√1.		मुदाय/ श्रेणी	
4			
1	अनुबंध-।	शा.दि.	
		(ू एक	0
		-	सिविल सर्जन / चिकित्सा
			अधीक्षक
		रूप में	
		लिखने	
		में सीमा	
		के	
		संबंध	
		में)	
2	अनुबंध-॥	,	आवेदक स्वयं
		( अपना	
		प्रलिपि	
		क	
		प्रयोग	
		करने	
		के लिए	
		वचन	
		पत्र	
3	अनुबंध-॥।		भ्रेणियों का विवरण
4	अनुबंध-IV		ी पंजीकरण और ऑनलाइन
	तथा ∨	-	गत्र भरने के लिए अनुदेश
5	अनुबंध-VI	अ.जा/अ.ज	
	9	.जा.	मजिस्ट्रेट।
			कलेक्टर/उपायुक्त/अपर
			उपायुक्त/उप क्लेक्टर/
			प्रथम श्रेणी बैतनिक
			मजिस्ट्रेट। उप-मण्डलीय
			मजिस्ट्रेंट/अतिरिक्त
			सहायक आयुक्त/ तालुका मजिस्ट्रेट/ कार्यपालिका
			माणस्ट्रटा कावपालिका

				मजिस्ट्रेट।
			ii	मुख्य प्रेसिडेंसी
				मजिस्ट्रेट/अपर मुख्य
				प्रेसिडेंसी
				मजिस्ट्रेट/प्रेसिडेंसी
				मजिस्टेट
			iii	कम से कम तहसीलदार के
				रैंक का राजस्व अधिकारी
			iv	उस क्षेत्र का उप मंड्लीय
				अधिकारी जहां आवेदक
				तथा उसका परिवार
				सामान्यतः रहता है।
			टिप्प	तमिलनाडु राज्य के अजजा
			णीः	अभ्यर्थी को केवल राजस्व
				मंडलीय अधिकारी द्वारा
				जारी किया गया जाति
				प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना चाहिए।
6	अस्तर्वेश ५/॥	अपिव	जिला र	पाहरा ।जिस्ट्रेट/उपायुक्त इत्यादि।
7	अनुबंध-VII			
'	अनुबंध-VIII	प्रपत्र- V	शा.दि.	चिकित्सा बोर्ड के सदस्य/ अध्यक्ष तथा चिकित्सा
		प्रपत्र-	1	अधीक्षक/
		VI		मु.चि.अ./चिकित्सालय के
		प्रपत्र-	-	प्रधान द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित
		VII		איזון אוווע אוווע אוווע וויאן
8	अनुबंध-IX	ईएसए	कमांडिं	ग अधिकारी
9	अनुबंध-IX क	म	स्वंय अ	विदक
10	अनुबंध-X	सीजी	कार्याल	य प्रमुख या विभाग का प्रमुख
	913447	सीई		
11	अनुबंध-X क	सीजी	स्वंय अ	विदक
		सीई		
12	अनुबंध-XI	भूपूसै		मजिस्ट्रेट/अपर जिला
				ट। कलेक्टर/उपायुक्त/अपर
			उपायुक	त/उप कलेक्टर/ प्रथम श्रेणी
				मजिस्ट्रेट। उप-मण्डलीय
				ट/अतिरिक्त सहायक
			आयुक्त	।/ तालुका मजिस्ट्रेट।

कार्यपालिका मजिस्ट्रेट।
मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट/अपर मुख्य
प्रेंसिडेंसी मर्जिस्ट्रेट/प्रेसिडेंसी
मजिस्ट्रेट
कम से कम तहसीलदार के रैंक का
राजस्व अधिकारी
उस क्षेत्र का उप मंडलीय अधिकारी
जहां आवेदक तथा उसका परिवार
सामान्यतः रहता है।

## <u>अनुबंध-।</u>

## परीक्षार्थी की लिखने संबधी शारीरिक सीमाओं के संबंध में प्रमाण-<u>पत्र</u>

प्रमाणित	किया	जाता	है	कि	मैंने	१ श्री	/सुश्री/श्र	ग्रीमती
		(दिव्यां	ग अ	भ्यर्थी	का	नाम),	सुपुत्र/	सुपुत्री
			,			ग्राम	म/जिला/	राज्य
				के	निवास	ति है	<del>}</del> ,	जोकि
		(दिव्यां	गता	प्रमाण	पत्र मे	ां यथा	-उल्लि	ाखित
दिव्यांगता व	का स्वरूप	और उस	की प्रति	भिशतता	) से पी	ड़ेत हैं,	की जां	च की
है और उल्लं	लेख करता	हूं कि दिव	यांगता	के का	रण उन	की शार्र	ोरिक सं	ीमाएं
हैं जिनसे उ	नकी लेखन	। क्षमताएं	प्रभावित	त होती	हैं।			

#### हस्ताक्षर

सरकारी स्वास्थ्य संस्थान के मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन/चिकित्सा अधीक्षक

नाम व पदनाम

सरकारी अस्पताल/स्वास्थ्य संस्थान का नाम एवं मुहर

स्थान:

तारीख:

## टिप्पणी:

संबंधित विषय/दिव्यांगता (अर्थात दृषटि दिव्यांगता- नेत्र विशेषज्ञ, गति विषयक दिव्यांगता- अस्थि रोग विशेषज्ञ/पीएमआर) के विशेषज्ञ द्वारा ही प्रमाण-पत्र दिया जाना चाहिए।

# स्वयं के प्रलिपिक का उपयोग करने हेतु वचन-पत्र

मैं(दिव्यांगता व	का स्वरूप)
दिव्यांगता से पीड़ित व्यक्ति हूं, जिसका	(जिले का नाम)
(राज्य/संघ राज्यक्षेत्र का नाम)	में संथत
(केंद्र का नाम) में	भनुक्रमांक
है। मेरी शैक्षिक योग्यता है।	
गै गनिन करनाकरनी नं कि	(प्रतिपिक
मै सूचित करता/करती हूं कि	
का नाम) अधोहस्ताक्षरी को पूर्वोक्त परीक्षा में	प्रालापक/राडर/प्रयागशाला
सहायक की सेवा प्रदान करेंगे/करेंगी।	
मैं प्रमाणित करता/करती हूं कि उ	उनकी शैक्षिक योग्यता
है। यदि बाद में यह पता <sup>न</sup>	
योग्यता मेरे द्वारा घोषित योग्यता के अनुसार	
योग्यता से अधिक है, तो मुझे इस पद औ	
अधिकार नहीं होगा।	•
(वि	देव्यांग अभ्यर्थी के हस्ताक्षर)
स्थान:	
तारीख:	
UITIG.	

## <u>अनुबंध-।v</u>

## (ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने की प्रक्रिया)

परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया के दो भाग हैं:

- ।.एक बारगी पंजीकरण
- ॥.परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरना

### भाग -। (एक बारगी पंजीकरण)

- 1. कृपया ऑनलाइन 'पंजीकरण-प्रपत्र' और 'आवेदन-पत्र' भरने से पहले परीक्षा की सूचना में दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ें।
- 2. एकबारगी पंजीकरण भरने से पहले निम्नलिखित सूचनाएं/दस्तावेज तैयार रखें:
  - क. मोबाइल नंबर (ओटीपी के माध्यम से सत्यापित किया जाना है)।
  - ख.ईमेल आईडी (ओटीपी के माध्यम से सत्यापित किया जाना है)। पंजीकरण के समय दी गयी ईमेल आईडी अभ्यर्थी की यूज़र आईडी होगी।
  - ग. आधार संख्या या आधार नामांकन संख्या। यदि आधार संख्या या आधार नामांकन संख्या उपलब्ध नहीं है, तो कृपया निम्नलिखित आईडी नंबरों में से एक दें। (आपको बाद में मूल दस्तावेज़ को दिखाना होगा।)
    - i.वोटर आईडी कार्ड
    - ii.पैन
    - iii.पासपोर्ट
    - iv.ड्राइविंग लाइसेंस
    - v.स्कूल/कॉलेज आई डी
    - vi.नियोक्ता आईडी (सरकारी/पीएसयू/प्राइवेट)

- घ. बोर्ड, रोल नंबर और मैट्रिक (10वीं) की परीक्षा पास करने के वर्ष के बारे में जानकारी।
- ङ. जेपीईजी प्रारूप में स्कैन किए गए पासपोर्ट आकार की रंगीन फोटो ( 20केबी से 50 केबी)। फोटो का छवि आयाम लगभग 3.5 सेमी (चौड़ाई) X 4.5 (ऊंचाई) होनी चाहिए। धुंधली फोटो वाले आवेदन पत्रों को निरस्त कर दिया जाएगा।
- च. जेपीईजी फार्मेट में स्कैन किए गए हस्ताक्षर (10 से 20 केबी) । हस्ताक्षर छवि का आयाम लगभग 4.0 सेमी (चौड़ाई) X 3.0 सेमी (ऊंचाई) होना चाहिए। धुंधली हस्ताक्षर वाले आवेदन पत्रों को निरस्त कर दिया जाएगा।
- छ. दिव्यांगता प्रमाण-पत्र संख्या, यदि आप किसी बेंचमार्क दिव्यांगता से पीड़ित हैं।
- 3. एक बारगी पंजीकरण के लिए, <a href="http://ssc.nic.in">http://ssc.nic.in</a> पर 'Log in' सेक्शन में दिए गए लिंक 'Register Now' पर क्लिक करें।
- 4.एक बारगी पंजीकरण प्रक्रिया में निम्नलिखित सूचनाएं भरनी होंगी:
  - क. प्रारंभिक विवरण
  - ख. अतिरिक्त जानकारियां और संपर्क विवरण
  - ग. स्कैन की गई पासपोर्ट आकार का फोटोग्राफ और हस्ताक्षर अपलोड करना।

## 5. 'एक बारगी पंजीकरण प्रपत्र' भरने के लिए कृपया निम्नलिखित चरणों का अनुसरण करें :

- क. सत्यापन के उद्देश्य से और किसी गलती से बचने के लिए कुछ महत्वपूर्ण विवरणों (अर्थात आधार संख्या, नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्मतिथि इत्यादि) की प्रविषटि पंजीकरण प्रपत्र के संगत कॉलमो में दो बार की जानी अपेक्षित है। यदि मूल डाटा और सत्यापन डाटा कॉलम मेल नहीं खाते हैं तो इसका संकेत लाल रंग के पाठ में दिया जाएगा।
- ख. क्रम संख्या:1- आधार संख्या /आधार नामांकन संख्या/पहचान पत्र और इसकी संख्या के बारे मे जानकारी प्रदान करें। इन नम्बरों में से कोई एक नम्बर दिया जाना अपेक्षित है।

- ग. क्रम संख्या :2-अपना नाम ठीक वैसा ही भरें जैसा मैट्रिक परीक्षा (10वीं कक्षा) के प्रमाण-पत्र में दिया गया है। यदि मैट्रिकुलेशन के पश्चात आपने अपने नाम में कोई बदलाव किया है, तो कृपया इसका उल्लेख 2ग और 2घ में करें।
- घ. क्रम संख्या-3: अपने पिता का नाम ठीक वैसा ही भरें जैसाकि मैट्रिक परीक्षा (10वीं कक्षा) के प्रमाण-पत्र में दिया गया है।
- ङ क्रम संख्या4-: अपनी माता का नाम **ठीक वैसा ही** भरें जैसाकि मैट्रिक परीक्षा (10वीं कक्षा) के प्रमाण-पत्र में दिया गया है।
- च. क्रम संख्या5-: अपनी जन्मतिथि ठीक वैसी ही भरें जैसाकि मैट्रिक परीक्षा (10वीं कक्षा) के प्रमाण-पत्र में दी गई है।
- छ. क्रम संख्या :6-मैट्रिक परीक्षा (10वीं कक्षा) के प्रमाण-पत्र में निम्नलिखित शामिल है:
  - i.शिक्षा बोर्ड का नाम
  - ii.रोल नंबर
  - iii.उत्तीर्ण होने का वर्ष
- ज. क्रम संख्या -7: लिंग
- झ. क्रम संख्या -8: शैक्षणिक योग्यता का स्तर (उच्चतम)
- ञ. क्रम संख्या -9: आपका मोबाइल नंबर। यह एक सक्रिय मोबाइल नंबर होना चाहिए क्योंकि इसे 'वन टाइम पासवर्ड' (ओटीपी) के माध्यम से सत्यापित किया जाएगा। इस बात पर ध्यान दिया जाए कि कोई भी जानकारी जो आयोग संप्रेषित करना चाहता है, केवल इस मोबाइल नंबर पर ही भेजी जाएगी। यदि आवश्यक होगा तो पासवर्ड की पुनप्रीप्ति के लिए भी आपका मोबाइल नंबर उपयोग किया जाएगा।
- ट. क्रम संख्या-10: आपका ईमेल आईडी। यह एक संक्रिय ईमेल आईडी होना चाहिए क्योंिक इसे ओटीपी के माध्यम से सत्यापित किया जाएगा। एसएससी ऑनलाइन सिस्टम में लॉगिन के लिए आपका ईमेल आईडी ही आपका यूज़र नाम होगा। यह भी ध्यान दिया जाए कि आयोग जो भी जानकारी आपको देना चाहेगा, केवल इसी ईमेल आईडी पर भेजी जाएगी। यदि आवश्यक होगा तो पासवर्ड की पुनर्प्राप्ति के लिए भी आपकी ईमेल आईडी का उपयोग किया जाएगा।

- ठ. अपने स्थायी पते का राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र का विवरण प्रदान करें।
- ड. जब क्रम संख्या 1 से 10 में प्रदान किए गए मूल विवरण को सहेजा जाता है, तो आपको अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी की पुष्टि करने की आवश्यकता होगी। पुष्टि होने पर, आपका पंजीकरण आईडी और पासवर्ड आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भेज दिया जाएगा।
- ढ. आपको 14 दिनों के भीतर पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करनी होगी जिसमें विफल होने पर आपके अब तक के सहेजे गए पंजीकरण विवरण हटा दिए जाएंगे।
- ण. अपनी पंजीकृत ईमेल आईडी को यूजर नाम और आपके मोबाइल और ईमेल पर आपको प्रदान किए गए ऑटो जेनरेटेड पासवर्ड का उपयोग करके लॉगइन करें। पहले लॉगिन पर संकेत मिलने पर अपना पासवर्ड बदलें।
- त. पासवर्ड के सफलतापूर्वक परिवर्तन करने के बाद, बदले गए पासवर्ड का उपयोग करके आपको फिर से लॉगिन करना होगा।
- थ. सफलतापूर्वक लॉगइन करने पर, आपके द्वारा अभी तक की 'प्रारंभिक सूचनाओं' के बारे में भरी गई जानकारी प्रदर्शित होगी। यदि आवश्यक हो तो इसमें संशोधन करें अथवा नीचे दिए गए 'नेक्स्ट' बटन को क्लिक करके पंजीकरण पूरा करने के लिए आगे बढें।
- द. क्रम संख्या-11: अपनी श्रेणी के बारे में जानकारी प्रदान करें।
- ध. क्रम संख्या-12: अपनी राष्ट्रीयता के बारे में जानकारी प्रदान करें
- न. क्रम संख्या -13: दृश्यमान पहचान चिह्न के बारे में जानकारी प्रदान करें। आपको परीक्षा के विभिन्न चरणों में उपरोक्त पहचान चिह्न दिखाना पड़ सकता है।
- प . क्रम संख्या-14: कृपया यदि कोई बैंचमार्क दिव्यांगता हो तो उसकी जानकारी दें। यदि आप किसी बैंचमार्क दिव्यांगता से पीड़ित है, जोकि सरकारी नौकरियों के लिए उपयुक्त हो, तो दिव्यांगता प्रमाणपत्र संख्या प्रदान करें।

- फ. क्रम संख्या 15 से 18 : अपना स्थायी और वर्तमान पते के बारे
   में जानकारी प्रदान करें। डेटा को सहेजें और पंजीकरण
   प्रक्रिया के अंतिम भाग को भरने के लिए आगे बढ़ें।
- ब. क्रम संख्या 19 तथा 20: उपरोक्त क्रम संख्या-2 में निर्दिष्टानुसार हाल ही की फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करें।
- भ. प्रदान की गई जानकारी को सहेजें। ड्राफ्ट प्रिंट-आउट लें और 'Final Submit' से पहले, प्रदान की गई जानकारी की अच्छी तरह से समीक्षा करें।
- म. 'Final Submit' पर क्लिक करने पर आपके मोबाइल नम्बर और ई-मेल आई डी पर अलग-अलग ओटीपी भेजे जाएंगे। पंजीकरण प्रक्रिया पूरा करने के लिए आपको इन दो ओटीपी में से एक ओटीपी डालना होगा।
- य. 'घोषणा' को सावधानीपूर्वक पढ़ें और यदि आप उक्त घोषणा से सहमत हैं तो 'मैं सहमत हूं' पर क्लिक करें।
- कक. प्रारंभिक सूचनाएं प्रस्तुत करने के बाद, यदि पंजीकरण प्रक्रिया 14 दिनों के भीतर पूरी नहीं की जाती है, तो आपका डाटा सिस्टम से हटा दिया जाएगा।
- 6. पंजीकरण प्रक्रिया पूरी होने के बाद, 'प्रारंभिक विवरण' केवल दो बार बदला जा सकता है। इसलिए एक बारगी पंजीकरण करने के दौरान अत्यंत सावधानी बरतें।
- 7. आपको पुन :सलाह दी जाती है कि नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, मैट्रिक परीक्षा का विवरण ठीक वैसा ही भरें जैसा कि आपके मैट्रिकुलेशन प्रमाण-पत्र में दर्ज है। गलत/त्रुटिपूर्ण सूचनाएं देने पर आपकी अभ्यर्थिता निरस्त की जा सकती है।

## भाग-॥ (ऑनलाइन आवेदन-पत्र)

- 1. अपनी '**पंजीकृत संख्या**' और पासवर्ड के माध्यम ऑनलाइन सिस्टम में लॉगइन करें।
- 2. "नवीनतम अधिसूचना" TAB के अंतर्गत खंड " <u>चरण-</u> <u>VII/2019/चयन पद परीक्षा में</u>"' 'Apply' लिंक पर क्लिक करें ।
- 3. क्रम सं1-. से 14, 27,28,29 पर कॉलम में जानकारी स्वचालित रूप से आपके एकबारगी पंजीकरण डाटा से भर जाएगी जिसका संपादन नहीं किया जा सकता है। यदि आप इनमें से कोई डाटा संशोधित करना चाहते हैं, 'Modify Registration' पर क्लिक करें और यथोचित रूप से एक बारगी पंजीकरण डाटा का संपादन करें।
- 4. क्रम संख्या-15: उस क्षेत्र के नाम का चयन करें जिससे वह पद संबद्ध है।
- 5. क्रम संख्या-16: उस पद कोड का चयन करें जिसके लिए आप आवेदन कर रहे हैं।
- 6. क्रम संख्या-17 तथा 18: आपके द्वारा चयनित पद कोड के आधार पर पदनाम और पद का स्तर स्वतः प्रदर्शित हो जाएगा ।
- 7. क्रम संख्या-19: परीक्षा केंद्रों के लिए अपनी वरीयता दें। आप एक ही क्षेत्र के भीतर परीक्षा केंद्र चुन सकते हैं। वरीयता के क्रम में सभी तीन केंद्रों के लिए विकल्प दिया जाना चाहिए।
- 8. क्रम संख्या-20: यदि आप सैन्य सेवाकर्मी या भूतपूर्व सैनिक हैं, तो आवश्यक जानकारी भरें। सैनिको/ भूतपूर्व सैनिकों के पारिवारिक सदस्यों को भूतपूर्व सैनिक नहीं माना जाता है।
- 9. क्रम संख्या-21.1: यदि आप प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात से पीड़ित हैं, तो सूचना भरें।
- 10. क्रम संख्या-21.2: यदि लेखन हेतु आपकी शारीरिक सीमाएं हैं और आपको प्रलिपिक की आवश्यकता है, तो उल्लेख करें। और अधिक जानकारी के लिए परीक्षा की इस विज्ञप्ति का पैरा 11 ङ (ii) देखें।
- 11. क्रम संख्या-21.3 से 21.5: यदि आपको परीक्षा की विज्ञपति के पैरा-11 ङ (i) और 11 ङ (ii) के अनुसार प्रलिपिक की आवश्यकता है, तो प्रलिपिक की आवश्यकता के बारे में जानकारी प्रदान करें।
- 12. क्रम संख्या-22 : यदि आप आयु में छूट चाहते हैं तो उपयुक्त आयु छूट श्रेणी का चयन करें।

- 13. क्रम संख्या-23: अपनी उच्चतम शैक्षणिक योग्यता का उल्लेख करें।
- 14. क्रम संख्या-24: कृपया अपना कार्य अनुभव इंगित करें।
- 15. क्रम संख्या-25: यदि आप आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्लूएस) से हैं, तो जानकारी प्रदान करें। यह केवल अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए ही लागू है।
- 16. क्रम संख्या-26 : कृपया परीक्षा-विज्ञपति का पैरा संख्या-18 देखें और तदनुसार भरें।
- 17. फोटो और हस्ताक्षर से संबंधित जानकारी एकबारगी पंजीकरण डाटा से स्वतः भर जाएगी।
- 18. "मैं सहमत हूं" चेक बॉक्स पर क्लिक करके और कैप्चा कोड भरकर अपनी घोषणा को पूरा करें।
- 19. आपके द्वारा प्रदान की गई जानकारी का पूर्वावलोकन और सत्यापन करें और आवेदन 'सबिमट' करें।
- 20. यदि आपको शुल्क के भुगतान से छूट नहीं दी गयी है तो शुल्क भुगतान करने के लिए आगे बढ़ें।
- 21. शुल्क का भुगतान भीम यूपीआई, नेट बैंकिंग, वीसा, मास्टर कार्ड, मैस्ट्रो, रूपे क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का उपयोग करके ऑनलाइन के माध्यम से तथा एसबीआई चालान जनरेट करके एसबीआई की शाखाओं में नकद के रूप में किया जा सकता है।
- 22. शुल्क के भुगतान हेतु और अधिक जानकारी के लिए परीक्षा-विज्ञपति के पैरा 7-का संदर्भ लें।
- 23. जब आवेदन सफलतापूर्वक सबिमट किया जाएगा, तो इसे 'अनंतिम रूप से' स्वीकार किया जाएगा। अभ्यर्थी को अपने स्वयं के रिकॉर्ड के लिए आवेदन पत्र का प्रिंट-आउट लेना चाहिए। किसी भी स्तर पर आयोग को 'आवेदन पत्र' का प्रिंट-आउट जमा करने की आवश्यकता नहीं है।

## अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र का प्रारूप

जो अभ्यर्थी किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित होने का दावा करते हैं, उन्हें अपने दावे के समर्थन में नीचे दिए गए प्रपत्र पर जिलाधिकारी या परगनाधिकारी या उस जिले जिसमें उनके माता-पिता (या जीवित माता-पिता) सामान्यतः रहते हों, के नीचे दिए गए किसी भी अधिकारी, जिसे संबंधित राज्य सरकार द्वारा ऐसा प्रमाणपत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकृत किया गया हो, से प्राप्त प्रमाणपत्र की एक अनुप्रमाणित/सत्यापित प्रति जमा करनी चाहिए। यदि उसके माता-पिता दोनों की मृत्यु हो गई हो, तो प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करने वाला अधिकारी उस जिले का होना चाहिए जिसमें अभ्यर्थी अपनी शिक्षा के उद्देश्य के अतिरिक्त सामान्यतः रहता हो। जहां कहीं फोटोग्राफ प्रमाणपत्र का आवश्यक अंग है, वहां आयोग ऐसे प्रमाणपत्रों की केवल प्रमाणित फोटो प्रतियां ही स्वीकार करेगा न कि कोई अन्य प्रमाणित या सही प्रतिलिपि।

(भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन करने वाले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभयर्थियों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाणपत्र का प्रपत्र)

प्रमाणि	त	किया	जात	Т	है	कि
श्री/श्रीमती/कु	मारी*					
पुत्र/पुत्री					निवासी	
ग्राम/कस्बा*						
जिला/संभाग	*		राज	य/संघ		राज्य
क्षेत्र*		के				
	ति से संबधि				अंतर्गत उ	अनुसूचित
जाति/अनुसूर्ी	चेत जनजाति	<b>)</b> * के रूप मे	ों मान्यता !	प्राप्त हैः-		
_		_				
	नुसूचित जावि					
संविधान (अ	नुसूचित जन	जाति) आदेः	रा, 1950.			
संविधान	(अनुसूचित	जाति)	संघ	राज्य	क्षेत्र	आदेश,
1951*		ŕ				

संविधान (अनुसूचित जनजाति)संघ राज्य क्षेत्र आदेश.1951\*....

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति सूची (परिशोधन) आदेश,1956 बम्बई पुनर्गठन अधिनियम,1960 और पंजाब पुनर्गठन अधिनियम,1966, हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम,1970, पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश(संशोधन) अधिनियम 1976 द्वारा यथा संशोधित।

संविधान(जम्मू एवं कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश, 1956...... अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश(संशोधन अधिनियम) 1976\* द्वारा यथा संशोधित संविधान (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1959 संविधान(दादरा एवं नगर हवेली) अनुसूचित जाति आदेश, 1962 संविधान(दादरा एवं नगर हवेली) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1962 संविधान(पांडिचेरी) अनुसूचित जाति आदेश, 1964 संविधान(अनुसूचित जनजाति ) (उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967 संविधान(गोवा, दमन एवं दीव) अनुसूचित जाति आदेश, 1968 संविधान(गोवा, दमन एवं दीव) अनुसूचित जाति आदेश, 1968 संविधान(गोवा, दमन एवं दीव) अनुसूचित जाति आदेश, 1968 @

संविधान(गोवा,दमन एवं दीव) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1968@ संविधान(नागालैंड) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1970@ संविधान(सिक्किम) अनुसूचित जाति आदेश, 1978@ संविधान(सिक्किम) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1978@ संविधान(जम्मू एवं कश्मीर) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1989@ संविधान(अनुसूचित जाति ) आदेश (संशोधन) अधिनियम,1990@ संविधान(अनुसूचित जनजाति ) आदेश (संशोधन) अध्यादेश,1991@ संविधान(अनुसूचित जनजाति ) आदेश (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1991@ संविधान(अनुसूचित जनजाति ) आदेश (संशोधन) अध्यादेश, 1996 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश(संशोधन) अधिनियम,2002 संविधान(अनुसूचित जनजाति ) आदेश (संशोधन) अधिनियम,2002 संविधान(अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति ) आदेश (संशोधन) अधिनियम,2002 संविधान(अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति ) आदेश (संशोधन) अधिनियम,2002

%2 यह उन्	<del>।</del> अनुसूचित ज	ातियों, अनुसूचित जन	नजातियों के	मामले में	लागू
है जो एक रा	ज्य/संघं राज्य १	क्षेत्र प्रशासन से प्रवास	न कर गए हैं		
यह	प्रमाण	पत्र	श्री/१	श्रीमती/कुग	नारी*
			के		
श्री/श्रीमती			निवासी		
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		जिला/संभाग*			
	राज्य	।/संघ			 राज्य
		को	जारी किए र		
जाति <i>।</i> अन्य	चित जनजाति	प्रमाणपत्र के आधा	यारा प्रमुख	किया जा	ग्रु २५१ ता है
जाता अपुर् त्नो	19th or follow	्रापाणयम् यः आया जाति/जनजाति	मे	14741 आ ग्रंतंशित	(1) 왕
		दिनांक			
या	<del></del>	रगायम्	 ਹਵਾ / ਹਾਂਚ	வ	 ਕ ਜੇਂ
्राच्याचित्र व	(1 11 <del>2</del> 731 <del>231122</del>	र जनजाति के रूप में	१७५ / त्रप <del>माजना मार</del>	राज्य दा च <del>है</del> ।	1 <del>1</del>
					ചകാ
_	मता/कुमारा		બા		
परिवार				सामा	
		जिला/संभाग*		۲	।ज्य/
सध राज्य क्ष	k	में रहता है ।			
		हस्ताक्षर			
** <del>***********************************</del>					
			/	<del></del>	<del>-</del>
		*******	(कार	र्यालय	का
मुहर सहित)					
*चो लाउँ जा	m – <del>ਤ</del> ੇਂ <del>– ਤੇ</del> ਂ ਤ	ਜ਼ਰ ਤੇਂ ।			
	ागू न हों उन्हें व - चिकार अपने				
		रा का उल्लेख करें।			
% जा अનુષ્દ	<b>ेद</b> लागू न हो उ	उस काट द ।			

टिप्पणी:- यहां प्रयुक्त शब्द सामान्यतः रहते हैं का वही अर्थ होगा जैसा कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम,1950 की धारा 20 में दिया है । \*\*जाति/जनजाति प्रमाणपत्र जारी करने के लिए अधिकृत प्राधिकारियों की सूची :-

- (i) जिला मजिस्ट्रेट/अपर जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/उपायुक्त/अतिरिक्त उपायुक्त/डिप्टी कलेक्टर/प्रथम श्रेणी के स्टाईपेंडरी मजिस्ट्रेट/सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त सहायक आयुक्त/तालुका मजिस्ट्रेट/एक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट।
- (ii) मुख्य प्रेसीडेंसी मॉजेस्ट्रेट /अपर मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट /प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट
- (iii) राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार रैंक के नीचे का न हो।
- (iv) क्षेत्र का सब डिविजनल आफीसर जहां अभ्यर्थी और/या उसका परिवार सामान्यतः रहता है।

टिप्पणी:- तमिलनाडु राज्य के अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को केवल राजस्व मंडलीय अधिकारी द्वारा जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना चाहिए।

#### अनुबंध-VII

(भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले अन्य पिछड़े वर्गों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाल प्रमाणपत्र का प्रपत्र)

	यह	प्रमाणित	किया	जाता	है	कि
				 П		ग्राम
		राज्य	1/संघ	राज्य	क्षेत्र ाय से संबं	के घित हैं जो
दिन भार	ांकसं त सरकार	कल्प सं के अधीन पिछ	सामाजि इड़े वर्ग के र	क न्याय एवं रूप में मान्यत	अधिकारित ना प्राप्त है।	ा मंत्रालय,
परि	वार सामान	 त्यतः				राज्य/संघ

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वे भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 36012/22/93-स्था. - (एससीटी), दिनांक 8.9.1993\*\* की अनुसूची के कॉलम 3 में उल्लिखित व्यक्तियों/वर्गीं (क्रीमी लेयर ) से संबंधित नहीं हैं।

दिनांकः

मुहर की मुहर : आदि। जिलाधीश या उपायुक्त

\*प्रमाण पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी को भारत सरकार के उस संकल्प का ब्यौरा का उल्लेख करना होगा जिसमें अभयर्थी की जाति का अन्य पिछडा वर्ग के रूप में उल्लेख है।

\* समय समय पर यथा संशोधित

टिप्पणी : यहां प्रयुक्त सामान्यतः शब्द का वही अर्थ होगा जैसा कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम,1950 की धारा 20 में दिया है ।

#### प्रपत्र-۷

## निःशक्तता प्रमाण पत्र (विच्छेदन या अंग के पूरे स्थायी पक्षाघात अथवा बौनापन और अधांपन के मामले) (नियम 4) देखें)

(प्रमाण-पत्र जारी करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी का नाम एवं पता)

	नेःशक्त
दिनांकप्रमाणित किया जाता है कि मैंने श्री/ ह श्रीमती / कुमारी	त्र्यक्ति का इाल ही का ग्रासपोर्ट आकार का अनुप्रमाणि जिवल वेहरे का)
स्थायी आवास मकान नं वार्ड	र्ड/गांव/गली
डाकघरजिला की सावधानीपूर्वक जांच की है	राज्य ।
जिनका ऊपर फोटो चिपकाया गया है एवं मैं संतुष्ट हूँ कि:- (क) उनका मामला : • गतिविषयक विकलांगता • नेत्रहीनता का है (जैसा भी लागू हो, निशान लगाएं)	
(ख) उनके मामले मेंनिदान कि ।	त्र्या गया है
' (क) वे दिशानिर्देशों के अनुसार (शारीरिक अंग)(उल्लेख करें) के संबंध प्रितशत (शब्दों में	ध में
शारीरिक क्षति/नेत्रहीनता से पीडित हैं ।	

2. अभयर्थी ने आवास प्रमाणपत्र के रूप में निम्नलिखित दस्तावेज जमा किए है : -

दस्तावेज स्वरूप	का	जारी तिथि	करने	की	प्रमाणपत्र प्राधिकारी		वाले

(अधिसूचित चिकित्सा प्राधिकारी के प्राधिकृत हस्ताक्षर एवं मुहर)

उस व्यक्ति के हस्ताक्षर/अंगूठे की छाप जिसके लिए निःशक्तता प्रमाणपत्र जारी किया गया है

## <u>अनुबंध-VIII</u>

#### प्रारूप-VI

निःशक्तता प्रमाण पत्र

(बहु नि:शक्तता संबंधी मामलों में)

(नियम 18(1) देखें)

(प्रमाण-पत्र जारी करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी का नाम एवं पता) निःशक्त व्यक्ति का हाल ही का पासपोर्ट आकार का अनुप्रमाणित फोटो (केवल चेहरे का)

प्रमाण पत्र सं. ----- दिनांक -----

----

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने श्री/ श्रीमती / कुमारी
सुपुत्र/ पत्नी / सुपुत्री जन्म
तिथि (दि/म/व) आयु वर्ष पुरूष/ महिला
पंजीकरण संख्या मकान नं वार्ड/गांव/गली
डाकघर जिला राज्य के स्थायी
निवासी हैं, जिनकी फोटो ऊपर चिपकायी गई है, की सावधानीपूर्वक जांच
की है और मैं संतुष्ट हूं कि:-

(क) उनका मामला बहु निःशक्तता है। उनकी शारीरिक निःशक्तता/दिव्यांगता का दिशानिर्देशों ................. (दिशानिर्देश संख्या और उनको जारी करने की तारीख) के अनुसार निम्नलिखित इंगित निःशक्तताओं के लिए मूल्यांकन किया गया है और उसे निम्नलिखित सारणी में उपयुक्त निःशक्तता के समक्ष दर्शाया गया है:-

क्र.	निःशक्तता	शरीर के	निदान	स्थायी शारीरिक
सं.		प्रभावित		क्षति/ मानसिक
		अंग		दिव्यांगता(%में)
1.	गति विषयक दिव्यांगता	@		
2.	पेशी संबंधी कुपोषण			
3.	अभिसाधित कुष्ठ			
4.	बौनापन			
5.	प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात			
6.	तेजाब के हमले में जले पीड़ित			
7.	अल्प दृषटे	#		
8.	नेत्रहीनता	#		

1		T	T	
9.	बधिरता	£		
10.	श्रवण दिव्यांगता	£		
11.	वाक् एवं भाषा संबंधी			
	दिव्यांगता			
12.	बौद्धिक दिव्यांगता			
13.	विशिष्ट अभिगम			
	दिव्यांगता			
14.	ऑटिस्म स्पेक्ट्रम विकार			
15.	मानसिक बीमारी			
16.	चिरकालिक तंत्रिका			
	संबंधी विकार			
17.	मल्टीपल स्लेरोसिस			
18.	पार्किन्सन बीमारी			
19.	हेमोफिलिया			
20.	थेलेसेमिया			
21.	सिकल सेल डिसीज़			

(ख) उपर्युक्त के संदर्भ	में, उसकी समग्र स्थ	ायी शारीरिक दिव्य	ग्रांगता
दिशानिर्देशों	. (दिशानिर्देश संख्य	ा और उनको जारी	करने की
तारीख) के अनुसार निम्	नलिखित है:		

अंको में ..... प्रतिशत

शब्दों में ..... प्रतिशत

2. उपर्युक्त स्थिति प्रगामी है/गैर-प्रगामी है/इसमें सुधार होने की संभावना है/ सुधार होने की संभावना नहीं है ।

- 3. निःशक्तता का पुनःनिर्धारण:
  - (i) आवश्यक नहीं है

अथवा

(ii) ...... वर्ष ......माह के पश्चात पुनःनिर्धारण की सिफारिश की जाती है और इसलिए यह प्रमाणपत्र ...... (तारीख) .... (माह) ......(वर्ष) तक मान्य रहेगा।

@ उदाहरणतः बाएं/दाएं/दोनों बाहें/टांगे

# उदाहरणतः एक आँख

£ उदाहरण: बाएं/दाएं/दोनों कान

4. अभ्यर्थी ने आवास प्रमाणपत्र के रूप में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए है:-

दस्तावेज का	जारी करने की	प्रमाण-पत्र जारी करने वाले
स्वरूप	तारीख	प्राधिकारी का ब्यौरा

5. चिकित्सा प्राधिकारी के हस्ताक्षण एवं मोहर

सदस्य का नाम और	सदस्य का नाम और	अध्यक्ष का नाम और
मुहर	मुहर	मुहर

उस व्यक्ति के हस्ताक्षर/अंगूठे की छाप जिसके लिए निःशक्तता प्रमाणपत्र जारी किया गया है

## <u>अनुबंध-VIII</u>

#### प्रारूप-VII

## निःशक्तता प्रमाण पत्र

(प्रारूप V और VI में उल्लिखित मामलों को छोड़कर)

(नियम 18(1) देखें)

(प्रमाण-पत्र जारी करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी	निःशक्त व्यक्ति का
का नाम एवं पता)	निःशक्त व्यक्ति का हाल ही का पासपोर्ट
	आकार का अनुप्रमाणित फोटो (केवल चेहरे का)
	(केवल चेहरे का)
प्रमाण पत्र सं दिनांक	

प्रमाणित	। किया जाता	है कि मै	ौंने श्री/ श्रीम	ती / कुम	ारी			
	सुपुत्र/ पत्नी	/ सुपुत्री -					<del></del> <del>5</del> 7	न्म
	पंजीकरण	संख्या	,	जोकि	मकान	नं		

वार्ड/गां	ांव/गली	- डाकघर		जिला		र	ज्य	
	के स्थायी निव	ासी हैं औ	र जिनव	<sub>गी</sub> फोट	ो ऊपर नि	वेपकार	गी गई	है,
की स	<b>नावधानीपूर्वक</b>	जांच क	गे है	और	मैं संतुष	ट हूं	कि	वे
		निशक्त	ता से	पीड़ित	हैं। उ	नकी	शारीरि	क
निःशक	तता/दिव्यांगता	का दिशा	निर्देशों		(दिः	शानिर्देः	श संख	य्रा
और उ	उनको जारी क	रने की त	तारीख)	के अन्	नुसार निम	नलिखि	त इंगि	ोत
निःशक	तताओं के लिए	मूल्यांक	न किया	गया है	है और उ	से नि	म्नलिखि	्रोत
सारणी	में उपयुक्त निः	शक्तता के	समक्ष	दर्शाया र	गया है:-			

_				
क्र.	निःशक्तता	शरीर के	निदान	स्थायी शारीरिक
सं.		प्रभावित		क्षति/ मानसिक
		अंग		दिव्यांगता(%में)
1.	गति विषयक दिव्यांगता	@		
2.	पेशी संबंधी कुपोषण			
3.	अभिसाधित कुष्ठ			
4.	प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात			
5.	तेजाब के हमले में जले पीड़ित			
6.	अल्प दृषटि	#		
7.	बधिरता	€		
8.	श्रवण दिव्यांगता	€		
9.	वाक् एवं भाषा संबंधी दिव्यांगता			
10.	बौद्धिक दिव्यांगता			
11.	विशिष्ट अभिगम दिव्यांगता			
12.	ऑटिस्म स्पेक्ट्रम विकार			

13.	मानसिक बीमारी		
14.	चिरकालिक तंत्रिका संबंधी विकार		
15.	मल्टीपल स्लेरोसिस		
16.	पार्किन्सन बीमारी		
17.	हेमोफिलिया		
18.	थेलेसेमिया		
19.	सिकल सेल डिसीज़		

(कृपया उन निशक्तताओं को काट दें जो लागू न हों)

- 2. उपर्युक्त स्थिति प्रगामी है/गैर-प्रगामी है/इसमें सुधार होने की संभावना है/ सुधार होने की संभावना नहीं है।
- 3. निःशक्तता का पुनःनिर्धारण:
  - (i) आवश्यक नहीं है

अथवा

(ii)	वर्ष	माह के पश्चात	पुनःनिधीरण	ा की	सिफारिश
की जाती है और इं	सलिए यह प्र	ग्माणपत्र	(तारीख)		(माह)
(वर्ष) त	क मान्य रहे	गा ।			

@ उदाहरणतः बाएं/दाएं/दोनों बाहें/टांगे

# उदाहरणतः एक आँख/दोनों आंखे

€ उदाहरण: बाएं/दाएं/दोनों कान

4. अभ्यर्थी ने आवास प्रमाणपत्र के रूप में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए है:-

दस्तावेज का	जारी करने की	प्रमाण-पत्र जारी करने वाले				
स्वरूप	तारीख	प्राधिकारी का ब्यौरा				

(अधिसूचित चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता) (नाम और मुहर)

{यदि प्रमाणपत्र ऐसे चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किया गया है जो सरकारी अधिकारी (मुहर के साथ) नहीं है, तो मुख्य चिकित्सा अधिकारी/चिकित्सा अधीक्षक/ सरकारी अस्पताल के अध्यक्ष के प्रतिहस्ताक्षर एवं मुहर}

उस व्यक्ति के हस्ताक्षर/अंगूठे की छाप

जिसके लिए निःशक्तता प्रमाणपत्र जारी किया गया है

टिप्पणी: यदि प्रमाणपत्र ऐसे चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किया गया है जो सरकारी अधिकारी नहीं है, तो यह जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित होने पर ही वैध होगा।

# सेवारत रक्षा कार्मिकों के लिए प्रमाणपत्र का प्रपत्र (कृपया परीक्षा की विज्ञप्ति के पैरा 11 (च) तथा 11(छ) देखें)

मैं एतद्द्वारा यह प्रमाणित अनुसार	करता हूं कि मेरे पास उपलब्ध सूचना के
(नंबर) (नंबर) (नाम) को सशस्त्र सेना में अप् लेंगे ।	(रैंक)(रैंक)(रैंक)(रैंक)(दिनांक)(दिनांक) मियुक्ति की विनिर्दिष्ट अवधि पूरी कर
स्थानः हस्ताक्षर)	(कमांडिंग अधिकारी के
दिनांकः मुहरः	कार्यालय की

# कृपया परीक्षा की विज्ञप्ति का पैरा 11 (च) और 11 (छ) देखें भूतपूर्व सैनिक द्वारा प्रदान किया जाना

मैं	अनुक्रमांक
परीक्षा, 20 उपस्थित हुआ हूँ एततद्वारा वचनबद्ध हूँ कि:	के दस्तावेज सत्यापन में
(क) मैं समय समय पर यथा संशोधित केंद्रीय नियम, 1979, में भूतपूर्व सैनिकों के पुन: रोज सैनिकों को अनुमत लाभों का हकदार हूँ।	
(ख) मैंने सिविल क्षेत्र (जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र सांविधिक निकाय, राष्ट्रीयकृत बैंक, आदि सिम् को पुन: रोजगार के लिए दिए गए आरक्षण क तथा 'घ' पदों की सरकारी नौकरी में नियमित नहीं किया है ; अथवा	मेलित हैं) में भूतपूर्व-सैनिकों ा लाभ उठाते हुए समूह 'ग'
(ग) मैंने सिविल क्षेत्र में सरकारी नौकरी पाने व रूप में आरक्षण का लाभ उठाया है। मैंने दिन 	नांक कार्यालय में प्रहण किया है । मैं एततद्वारा ामिल होने से पहले वर्तमान -घोषणा / वचन पत्र प्रस्तुत
(घ) मैंने सिविल क्षेत्र में सरकारी नौकरी पाने रूप में आरक्षण का लाभ उठाया है। मैंने दिन को पद पर कार्यभार ग्रह केवल आयु में छूट पाने के लिए पात्र हूँ;	नांक कार्यालय में

मैं एततद्वारा घोषणा करता हूं कि उपरोक्त विवरण जहाँ तक मुझे पता है तथा विश्वास है यथार्थ, पूर्ण और सही हैं। मैं समझता हूँ कि किसी भी स्तर पर किसी भी जानकारी के झूठा या गलत पाए जाने पर मेरी अभ्यर्थिता / नियुक्ति निरस्त/ समाप्त समझा जाएगा।

हस्ताक्षर:
नाम:
अनुक्रमांक:
दिनांक:
सशस्त्र बलों में नियुक्ति की तिथि:
कार्यमुक्ति की तिथि:
अंतिम इकाई / कोर:
मोबाइल नंबर:
ईमेल आईडी:
अनुबंध-X
<u>आयु में छूट चाहने वाले केंद्र सरकार के सिविल कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत</u> किया जाने वाला प्रमाणपत्र का प्रपत्र
(उस विभाग या कार्यालय के अध्यक्ष द्वारा भरा जाए जहां अभ्यर्थी कार्यरत हैं)
(कृपया विज्ञप्ति का पैरा 11 (ज) देखें)
यह प्रमाणित किया जाता है कि *श्री/श्रीमती/कुमारी केंद्र सरकार के सिविल कर्मचारी हैं जो रू. के वेतनमान में के पद पर
के पद पर अंतिम तारीख के अनुसार इस ग्रेड में 3 वर्ष की नियमित सेवा कर चुके है। चरण-VII/ 2019 / चयन पद परीक्षा में उनके बैठने में कार्यालय को कोई आपत्ति नहीं है।
हस्ताक्षर
नाम

# कार्यालय की मुहर

स्थानः

दिनांकः

(\* कृपया जो शब्द लागू न हों उन्हें काट दें)

## परिशिष्ट-X(क)

## केन्द्र सरकार के सिविल कर्मचारियों के घोषणा सहित सभी सेवारत आवेदकों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला घोषणा पत्र

## (कृपया विज्ञप्ति का पैरा -11(झ) देखें)

मैं घोषणा करता हूँ कि मैंने अपने कार्यालय/विभाग के अध्यक्ष को पहले ही लिखित में सूचित किया है कि मैंने VII/ 2019 / चयन पद परीक्षा के लिए आवेदन किया है तथा आवेदन जमा करने की तिथि तक मेरे खिलाफ न तो कोई सतर्कता निकासी लम्बित है अथवा अवेक्षित है।

म इसक आतारक्त निम्नालाखत सूचना प्रस्तुत कर रहा हूं :
नियुक्ति की तिथि
वर्तमान धारित पद तथा वेतनमान
नियोजक का नाम एवं पता
दूरभाष सं./फैक्स/ई-मेल:
स्थान एतं तारीख

\*आवेदक का पूरा हस्ताक्षर

							सरकार	)

(प्रमाणपत्र जारी करने वाले अधिकारी का नाम और पता)

## आर्थिक रूप से पिछ़डे वर्गों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाला आय और संपतित संबंधी प्रमाण-पत्र

प्रमाण-पत्र	मख्या ——			f	देनांक	
	वर्ष .		लिए	र् मान्य		
यह	प्रमाणित	करना	है	कि		मती/कुमारी ।त्र/पुत्री/पत्नी
	स्थार्य	-				, निवासी
	、 ·	गाँव/गली				डाकघर
						<b>3</b>
राज्य/संघ	राज्य-क्षेत्र					 पिन कोड
	•	ोटो नीचे स	<u></u> त्यापित	की गयी		
कमजोर व	 र्ग से हैं क्योंकि f					
	* की कुल वार्षिव					
	। उनके/उसके					
नहीं है :				•		•
	e 11353 VII -	مران لاست	- <del></del>	o <del>(Fr</del>		
l.	५ एकड़ या उ				<del></del>	<del></del>
II.	1000 वर्ग फु					
III.	अधिसूचित र			100	वंग गज	या उसस
	अधिक का उ				3	_>: _>:
IV.	अधिसूचित न					
	वर्ग गज या उ	उससे आधक	न्का उ	आवासाय	भूखड ।	
2. श्री/श्री	ोमती/कुमारी _					का संबंध
	जार्	ते से है ि	जेसे उ	अनुसूचित	ा जाति,	अनुसूचित
जनजाति ५	ामता/कुमारा जारि और अन्य पिछर	ड़ा वर्ग (केंद्र	रीय सूच	वी) के रु	न्प में म	ान्यतां प्राप्त
नहीं है।			3.			

कार्यालय की मुहर के साथ हस्ताक्षर
नाम
पद